तम्बाकू
जानलेवा है

ज़िन्दगी चुनो,
तम्बाकू नहीं.

तम्बाकू नियंत्रण
प्रशिक्षक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

Madhya Pradesh Voluntary Health Association
International Union Against Tuberculosis & Lung Disease

तम्बाकू नियंत्रण

शासन, प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थानों के संयोजित प्रयास से परिवर्तन संभव

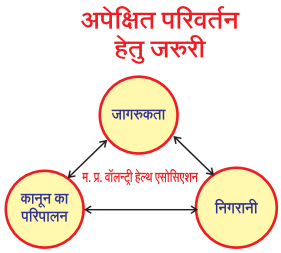

तम्बाकू नियंत्रण
प्रशिक्षक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

परिकल्पना

मुकेश कुमार सिन्हा

प्रस्तुति

बकुल शर्मा

संयोजन

विजय यादव
निलेश पांजरे

डी.टी.पी.
मनोहर वाघ

चतुर्थ संस्करण – 2019

प्रकाशकः

म. प्र. वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन

बिलावली तालाब के पास, पोस्ट कस्तूरबाग्राम, इन्दौर – 452 020
फोन : 0731 –2877734
Email : mpvha1973@gmail.com, Web : mpvha.org

आभार : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
राज्य तम्बाकू नियत्रंण प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश
वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
राजस्थान वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन
विश्व स्वास्थ्य संगठन

साभार :

International Union Against Tuberculosis & Lung Disease (The Union)

'This document has been produced with the help of a grant from the Union. The contents of this document are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the positions of the Union nor those of the Donors'.

रेनु पन्त
आई. ए. एस.
सचिव

मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग
इंदौर
कार्यालय : 0731–2702979
निवास : 0731–2701770
फैक्स : 0731–2701079

दिनांक : 16/01/2019

संदेश

भारत में हर वर्ष 12 से 13 लाख व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है। भारत सरकार ने तम्बाकू आपदा को नियंत्रित करने के लिये सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 बनाया है। यह अधिनियम तम्बाकू युक्त सभी पदार्थो पर लागू होता है। इसकी धारा 4, 5, 6अ, 6ब व धारा 7 के प्रावधानों और नियमों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है।

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जागरुकता के साथ प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा समय–समय पर निगरानी एवं कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाना आवश्यक है। इसके लिये जिले और विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित प्रवर्तन अधिकारी भी होना अत्यंत आवश्यक है।

मध्य प्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों को तम्बाकू नियंत्रण के बारे में प्रशिक्षित करने के लिये इस प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मैं आशा करती हूँ कि यह मार्गदर्शिका अधिकारियों को तम्बाकू नियंत्रण के विभिन्न मुद्दों से परिचित कराने में सहायक सिद्ध होगी और तम्बाकू नियंत्रण कानून के बारे में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में उपयोगी होगी। हमारे प्रयास से यदि असमय मृत्यु की घटनाओं को रोका जा सकें तो यह मानव कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

रेनु पंत, आईएएस
सचिव,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

भूमिका

तम्बाकू सेवन और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याए, महामारी के रुप में हमारे देश में भी तेजी से तम्बाकू आपदा के रुप में उभर रही है। प्रति वर्ष 12 से 13 लाख लोगों की मृत्यु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण होती है। जिसका अर्थ है तीन हजार से अधिक भारतीय प्रतिदिन तम्बाकू जनित रोगों से मरते हैं।

तम्बाकू आपदा से बचाव व नियन्त्रण की ठोस रणनीति को लागू करने के लिए शासन, प्रशासन, गैर सरकारी संस्थानों के साथ–साथ विभिन्न स्तर पर समान विचारधारा वाले लोगों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

म. प्र. वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन जिसे सामान्यतः **MPVHA** के नाम से भी जाना जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश की स्वयं सेवी संस्थाओं का राज्य व्यापी संजाल है। **MPVHA** भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिये विगत 46 वर्षों से सतत् एवं सक्रिय रुप से कार्यरत एवं समर्पित है। संस्था द्वारा राज्य में **तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003** के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रयास किये जा रहे है। विभागीय समन्वय के साथ–साथ तम्बाकू नियंत्रण कानून के सामुदायीकरण के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही है। तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003 के सामुदायीकरण के लिए प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा व पंचायत के विभागीय समन्वयन के साथ विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं और प्रवर्तन तन्त्र को सुचारु रुप से प्रभावी बनाएं रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस कार्य में सभी वर्गों व विभागों से सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। इसी संदर्भ में **तम्बाकू नियंत्रण प्रशिक्षक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका** का चतुर्थ संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है जो कि लक्ष्यपूर्ति के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम है। यह प्रशिक्षण पुस्तिका **द यूनियन** के आर्थिक सहयोग से तैयार की गई है। इस पुस्तिका के प्रकाशन में उनके समर्पित व सहायता के लिये दिल से आभार प्रकट करते हैं।

हमें आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर तम्बाकू आपदा से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरुकता लाने के साथ तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003 को प्रभावी रुप से लागू करने में सफल होंगे। सभी के सक्रिय व सतत् सहयोग से प्रदेश को तम्बाकू मुक्त बनाने में हमें सफलता मिलेगी।

अन्त में उन सभी लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में जानकारी व सुझाव उपलब्ध करवाये।

शुभकामनाओं के साथ!

आपका

मुकेश कुमार सिन्हा

कार्यकारी निदेशक,
म. प्र. वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन

प्रशिक्षकों के लिए

यह पुस्तिका उन प्रशिक्षकों के लिए है जो तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003 की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के प्रावधानों के लिए जागरुकता लाने का काम करेंगे। इन प्रशिक्षकों के लिए कुछ मार्गदर्शी बिन्दु दिए जा रहे है। इस पुस्तिका में चार खण्ड है। जिनके माध्यम से तम्बाकू आपदा से सम्बन्धित जानकारियां दी गई है। यह मार्गदर्शिका **प्रवर्तन अधिकारी को** प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी होगी। प्रथम तकनीकी खण्ड में तम्बाकू का इतिहास, क्षेत्र में प्रचलित तम्बाकू उत्पाद, तम्बाकू उत्पादों की सेवन विधियों की जानकारी जिसमें धूम्र रहित व धूम्र युक्त दोनों विधियों पर विस्तृत चर्चा के साथ ही परोक्ष धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव बताए गये है।।

दूसरे खण्ड में तम्बाकू नियंत्रण के वैश्विक एवं शासकीय प्रयासों तथा तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA–2003) के बारे में जानकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के साथ प्रवर्तन अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश तथा जागरुकता लाने के लिए अन्य नवीन प्रयासों की जानकारी दी गई है।

तृतिय खण्ड में तम्बाकू नियंत्रण के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को सम्मिलित किया गया है एवं चतुर्थ खण्ड में तम्बाकू नियंत्रण के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश का संकलन किया गया है।

प्रशिक्षण हेतु सुझाव :

प्रशिक्षक हर खण्ड को पूरा करने के लिये योजना बना सकते हैं और खण्ड के पूरा होने के पश्चात् प्रतिभागियों के साथ संवाद कर सकतेहैं। प्रशिक्षक हर खण्ड को शुरु करने से पहले उसकी प्रस्तावना बताएं। एक खण्ड को पूरा करने के पश्चात् प्रतिभागी क्या सीखेंगे यह बताएं, यदि एक से ज्यादा प्रशिक्षक हो तो प्रत्येक खण्ड को उनकी योग्यता अनुसार बांटा जा सकता है।

लक्षित समूह :

इस प्रशिक्षण पुस्तिका को शासकीय विभागों के अधिकारियों, तम्बाकू नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों आदि के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। यह पुस्तिका विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, पुलिस, प्रशासन आदि में तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003 को लागू करने की प्रक्रिया में सहायक होंगी।

प्रशिक्षकों की भूमिका :

प्रशिक्षित व्यक्ति तम्बाकू आपदा एवं तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु स्त्रोत व्यक्ति के रुप में अपनी सेवायें दे सकेंगे।

बकुल शर्मा
परियोजना प्रबंधक

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
प्रतिभागियों का परिचय		1
खण्ड–1 : तम्बाकू आपदा		
1.	भारत में तम्बाकू सेवन का इतिहास	3
2.	तम्बाकू नियंत्रण क्यों जरुरी	5
3.	तम्बाकू सेवन की स्थिति	6
4.	वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (GATS-II) : फेक्ट शीट मध्य प्रदेश 2016–17	8
5.	तम्बाकू सेवन के विविध रुप	12
6.	सांस्कृतिक पक्ष व शिष्टाचार	13
7.	तम्बाकू में पाये जाने वाले घातक रसायन	14
8.	तम्बाकू सेवन के दुष्परिणाम	17
9.	तम्बाकू /धूम्रपान का शरीर पर प्रभाव (महिला)	19
10.	तम्बाकू सेवन का महिलाओं पर प्रभाव (पुरुष)	20
11.	तम्बाकू सेवन का बच्चों पर प्रभाव	22
12.	परोक्ष धूम्रपान व उनके दुष्परिणाम	23
13.	तम्बाकू नियंत्रण के लिये उभरती हुई चुनौतिया	24
खण्ड–2 : तम्बाकू आपदा नियंत्रण		
14.	तम्बाकू नियंत्रण के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के उपाय : MPOWER	27
15.	भारत सरकार द्वारा प्रयास	28
16.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)	30
17	जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति (DTCC)	31
18.	भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून – सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003)	32
19.	तम्बाकू नियंत्रण के लिये अन्य कानून	47
खण्ड–3 : तम्बाकू के बारे में पूछे जाने वाले आम सवाल		
26.	धारा 4 के संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)	54
27.	धारा 6 के प्रावधानों के संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)	57
28.	धारा 7 के संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)	59
खण्ड–4 तम्बाकू नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण आदेश		
29.	तम्बाकू नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश	61

प्रथम सत्र

प्रतिभागियों का परिचय

माध्यम :

आपसी परिचय एवं खेल

सामग्री :

एक हल्की बड़ी गेंद

समय सीमा :

30 मिनट

उद्देश्य :

- प्रतिभागियों को एक दूसरे से परिचित करवाना ।
- उन्हें आराम दायक स्थिति में लाना ताकि वो कार्यशाला के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें।
- प्रतिभागी एक दूसरे को नाम लेकर बुला सकें।

गतिविधियां :

- सभी प्रतिभागियों का इस कार्यशाला में स्वागत करना।
- प्रतिभागीयों को आपसी परिचय सम्बन्धि खेल के बारे में बताना।
- प्रशिक्षक किसी एक प्रतिभागी की ओर गेंद फेकेगा जिसे वो लपक लेगा
- गेंद लपकने वाला प्रतिभागी अपना नाम, स्थान जहां से वो आया है, तथा जहां वो काम करता है, स्वयं की एक अच्छाई बताना या राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उसके रोल मॉडल कौन है और क्यों तथा अपने जीवन का कोई एक सुनहरा पल या यादगार घटना आदि बताएगा। समय के अनुसार प्रश्नों को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
- पहला प्रतिभागी जिसने अभी अपना परिचय दिया वो किसी और प्रतिभागी की तरफ गेंद फेकेगा।
- जिसकी ओर गेंद फेंकी जाएगी उसे वो लपक लेगा तथा उपरोक्त अनुसार अपना परिचय देगा।
- इस प्रकार वहां मौजूद सभी प्रतिभागी अपना–अपना परिचय देंगे।
- सबका परिचय होने के बाद प्रशिक्षक फिर से गेंद ले लेंगे।
- प्रशिक्षक अब गेंद किसी भी प्रतिभागी की ओर फेकेंगे जो उसे लपक लेगा। गेंद लपकने वाला प्रतिभागी जिस प्रतिभागी से उसे गेंद मिली है उसका नाम बताएगा।
- इस प्रकार सभी प्रतिभागी एक दूसरे का नाम बताएंगे।
- यह खेल तब तक खेला जा सकता है जब तक सभी को एक दूसरे का नाम याद न हो जाए।
- ***प्रशिक्षक परिस्थिति के अनुसार किसी और खेल का चयन भी कर सकते है। सिर्फ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि परिचय सत्र रोचक हल्का फुल्का व मनोरंजक हो तथा अपने उद्देश्य को पूरा करता हो।***

निष्कर्ष :–

- प्रतिभागी एक दूसरे से भलीभांति परिचित होंगे।
- प्रतिभागी एक दूसरे से परिचित हो जायेंगे।
- प्रतिभागी आपसी सामंजस्य व सहयोग की भावना सीख सकेंगे।
- प्रतिभागी खुलकर अभिव्यक्ति दे सकेंगे।

द्वितीय सत्र

प्रतिभागियों की अपेक्षाएं

विषय वस्तु :

प्रतिभागी इस प्रशिक्षण से क्या उम्मीद करते है।

समय सीमा :

30 मिनट

उद्देश्य :

- तम्बाकू नियंत्रण कानून के सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थीयों की अपेक्षायें जानना।
- प्रशिक्षणार्थीयों की अपेक्षाओं के आधार पर विषयों की जानकारी देना।
- प्रतिभागियों से उनके अनुभव जानना की उन्होंने तम्बाकू सेवन कैसे शुरू किया या कैसे छोड़ा।

गतिविधियां :

- सभी प्रशिक्षणार्थीयों से कहे कि वे तम्बाकू आपदा से सम्बधित किन विषयों को जानना चाहते हैं।
- सभी प्रशिक्षार्थी एक छोटे कागज पर उस विषय का नाम लिखेंगे जो वो जानना चाहते हैं।
- प्रशिक्षक उन विषयों को सभी के सामने पढेंगे।
- प्रशिक्षक तय करेंगे कि जो विषय प्रशिक्षणार्थीयों ने लिखे है वो इस कार्यशाला के उद्देश्यों को पूरा करते है या नही।
- प्रशिक्षक सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे कि किन विषयों को विषय सूचि में जोड़ा जाना चाहिए।
- प्रशिक्षक उन नए विषयों की जानकारी देने के लिए विषय विशेषज्ञों की व्यवस्था करेंगे।
- प्रतिभागियों के अनुभवों के आधार पर समीक्षा करेंगे।

खण्ड–1 तम्बाकू आपदा

इस खण्ड में प्रतिभागी तम्बाकू आपदा और इससे होने वाले खतरों के बारे में अवगत होंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पादों से परिचित होकर शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी जानेंगे।

उद्देश्य :

- प्रतिभागी तम्बाकू की उत्पत्ति एवं इतिहास के बारे में जान सकेंगे।
- प्रतिभागी जान सकेंगे कि तम्बाकू का चलन भारत में कैसे शुरू हुआ।
- प्रतिभागी अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय आकड़ों के माध्यम से तम्बाकू आपदा के बारे में जान पायेंगे।

गतिविधि :

- तम्बाकू के इतिहास के बारे में पावर पाइंट माध्यम से बताना।
- तम्बाकू उत्पाद व उपयोग के बारे में आंकड़ों के माध्यम से बताना।
- तम्बाकू का भारत में चलन कब व किस प्रकार शुरू हुआ के बारे में चर्चा करना।

भारत में तम्बाकू सेवन का इतिहास :

भारत में तम्बाकू की खेती की शुरूआत सिर्फ चार शताब्दी पहले ही हुई थी। सन् 1600 के दौर में पुर्तगाली सौदागर इसके पौधे को भारत में लाए । तम्बाकू के प्रयोग का पहला वृत्तान्त आदिल शाह के राज्य की राजधानी बीजापुर के बारे में है। अब यह क्षेत्र कर्नाटक प्रान्त में है। इसके बाद की कहानी तब की है जब मुगल बादशाह अकबर का राजदूत असद बेग 1604–05 में बीजापुर आता है और वहां से बड़ी तादाद में तम्बाकू और यूरोपीय नमूनों के खूबसूरत पाइप लेकर इन्हें बादशाह अकबर की खिदमद में पेश करता है। इस प्रकार तम्बाकू की शुरूआत राजदरबारों में हुई थी। बाद में इसकी लत क्रमशः भारत की आम जनता में फैल गई। देश के सभी क्षेत्र और समाज के हर वर्ग में तम्बाकू सेवन बढ़ता गया। इसके बाद के अगले चरण में अंग्रेजों ने सिगरेट के रूप में तम्बाकू सेवन का आधुनिक तरीका विकसित किया। सिगरेट सहज उपलब्ध एवं सस्ती होती है। तम्बाकू सेवन की यह नई विधि काफी तेजी से बढ़ी। इसमें मुनाफा भी अधिक होता था।

शुरूआत में तम्बाकू का सेवन धूम्रपान के जरिए ही किया जाता था। फिर जल्द ही लोग विभिन्न रूप और तरीकों से तम्बाकू सेवन करने लगे। धूम्रपान पर सख्ती की वजह से धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन बढ़ गया। धूम्ररहित (चबाने एवं सूंघने वाले) तम्बाकू का प्रचलन देश में सभी जगहों पर काफी व्यापक है। आज बाजार में अनेक किस्म में तम्बाकू उत्पाद धूम्रपान वाले या फिर धूम्ररहित उपलब्ध है।

भारत में तम्बाकू की खेती

भारत में तम्बाकू की खेती महज चार शताब्दी पूर्व ही शुरू हुई है । व्यावसायिक दृष्टि से तम्बाकू की खेती काफी लाभदायक समझी जाती है। भारत में अनेक किस्म की तम्बाकू उत्पन्न होती है। यहाँ

हर तरह के उपभोक्ता की जरूरत के मुताबिक तम्बाकू की उपज होती है। तम्बाकू की खेती की शुरूआत 17वीं सदी में हुई थी। शुरूआत में गुजरात के खेड़ा जिले और महाराष्ट्र में तम्बाकू की खेती शुरू हुई। फिर अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन हो गया। सिगरेट में काम आने वाली तम्बाकू (वर्जीनिआ) की व्यवसायिक खेती की शुरूआत 20वीं सदी से हुई। इस किस्म की तम्बाकू की खेती में गुजरात सबसे आगे है। इसके बाद आंध्रप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल है। धूम्ररहित तम्बाकू (चबाने एवं सूंघने वाले) की खेती उत्तरी और उत्तरी–पूर्वी भारत के राज्यों जैसे कि पंजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम राज्यों में प्रमुखता से होती है।

तम्बाकू की खेती पर्यावरण के लिये खतरनाक है क्योंकि जहां तम्बाकू बोई जाती है वहां घास तक नहीं उगती। प्रति 300 सिगरेट के उत्पादन में एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है। याद रखिये भारत में प्रतिवर्ष 80 अरब से अधिक सिगरेट का उत्पादन होता है।

निष्कर्ष :

- तम्बाकू के इतिहास की जानकारी अपने क्षेत्र में दे सकेंगे।
- भारत में तम्बाकू की शुरूआत कैसे हुई बता सकेंगे।
- आंकड़ो के माध्यम से तम्बाकू की स्थिति की जानकारी दे सकेंगे।
- भारतीय समाज के रीतिरिवाजों में तम्बाकू ने कैसे जगह बनाई।

तम्बाकू नियंत्रण क्यों जरूरी

- तम्बाकू उपयोग से भारत में प्रति वर्ष 12 से 13 लाख मौते होती है। [1]
- वर्ष 2020 तक भारत में कैंसर के कुल मरीजों में से तम्बाकू से संबंधित कैंसर के मरीजों की संख्या 30 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है।[2]
- अनुमान के अनुसार वर्ष 2011 में तम्बाकू उपयोग से भारत पर पड़ने वाला कुल आर्थिक बोझ 1,04,500 करोड़ रुपये था।[3]
- रिपोर्ट के अनुसार तम्बाकू उत्पाद से सालाना करीब 34,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। सिगरेट से मिलने वाले कर संग्रह में बढ़ोतरी हुई है और यह 7651 करोड़ रुपये (2005–06) से बढ़कर 28,489 करोड़ रुपये (2016–17) हो गया है। यह सिगरेट की बहुत अधिक खपत को दर्शाता है।[4]
- विश्व में भारत तीसरा सबसे बड़ा तम्बाकू उत्पादक राष्ट्र और तम्बाकू खपत के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। [5]
- मजदूर रोजाना 225–450 ग्राम तम्बाकू का प्रयोग कर 500–1000 बीड़ी बनाते है। अध्ययन बताते है कि तम्बाकू का सेवन नही करने वाले बीड़ी मज़दूरों के शरीर में भी निकोटीन का स्तर काफी अधिक पाया गया है।[6]
- 1000 बीड़ी बनाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी अलग अलग है – त्रिपुरा में 29.0 रुपये तो गुजरात में 64.8 रुपये, उत्तर प्रदेश में 25 से 60 रुपये के बीच और आन्ध्रप्रदेश में 100–130 रुपये के बीच।[7]
- तम्बाकू का प्रयोग करने वाले अपने जीवन के औसत 15 वर्ष खो देते है।
- धुँआ रहित तम्बाकू (एस.एल.टी) के अत्यधिक उपयोग के कारण भारत में मुंह के कैंसर वाले मरीजों की संख्या सबसे अधिक है।
- तम्बाकू का प्रयोग तपेदिक (ट्यूबरकुलोसिस) की संभावनाओं को बढ़ाता है।
- बीड़ी उद्योग कॉफी हद तक अनियमित एवं घरेलू उद्योग बना हुआ है, जिसकी वजह से इस उद्योग में काम करने की परिस्थितियों को विनियमित करना और कल्याण कानूनों को लागू करना मुश्किल हो रहा है।
- बीड़ी उद्योग में 5.5 मिलियन (55 लाख) लोग पूर्ण कालिक मजदूर है और 4 मिलियन (40 लाख) लोग बीड़ी उद्योग कार्य में लगे हुए है इनमें से ज्यादातर गरीब और अशिक्षित है।

स्त्रोत :

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (2016), ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे जीएटीएस 2 इंडिया 2016–17
2. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। आबादी आधारित कैंसर पंजीकरण 2012–2014 की तीन वर्ष की रिपोर्ट। बेंगलुर, भारत, राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र – राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम, 2016। उपलब्ध है : http//www.ncrpindia.org.(https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2017.293)
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (2014), विश्व स्वास्थ्य संगठन और पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत में तम्बाकू से संबंधित बीमारियों का आर्थिक बोझ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
4. वेब पेज : https://www.tiionline.org/facts-sheets/revenue/ 15 जुलाई 2017 को देखा गया
5. भारत में तंबाकू कर : अनुभवजन्य विश्लेषण https://www.searo.who.int/india/topics/tobacco/highlights_of_tax_affordab.
6. महिमकर, एमबी, भीसे, आरए (1995)। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू बीड़ी टोबेको इनक्रीजेज क्रोमोजोमल एबीरेशंस इन टोबेको प्रोसेसर्स। उत्परिवर्तन अनुसंधान 334 (2): 139–144
7. टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मजदूरों एवं बीड़ी मजदूरों को शोषण मुक्त कराना। नई दिल्ली टीआईआई: द गोल्डन लीफ इन पार्लियामेंट। नवंबर 29–दिसंबर 23। 1999. पृष्ठ 7–8
8. रैपिड सिचुएशनल एनालिसिस, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के बीड़ी मजदूर, वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 2013
9. VHAI : Call to Action : Act & Amend to Save Million Lives

तम्बाकू सेवन की स्थिति

वर्तमान में भारत और मध्य प्रदेश में तम्बाकू उपयोग

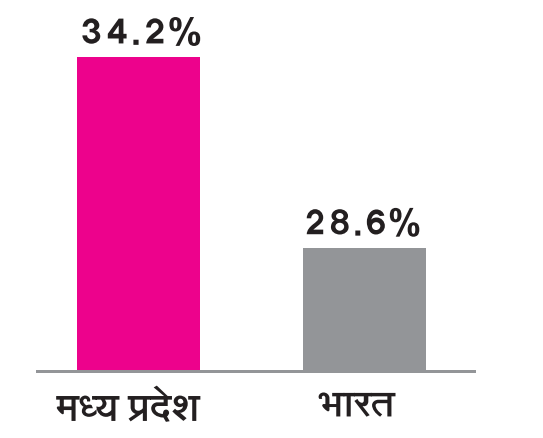

मध्य प्रदेश में तम्बाकू सेवन करने वाले पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत

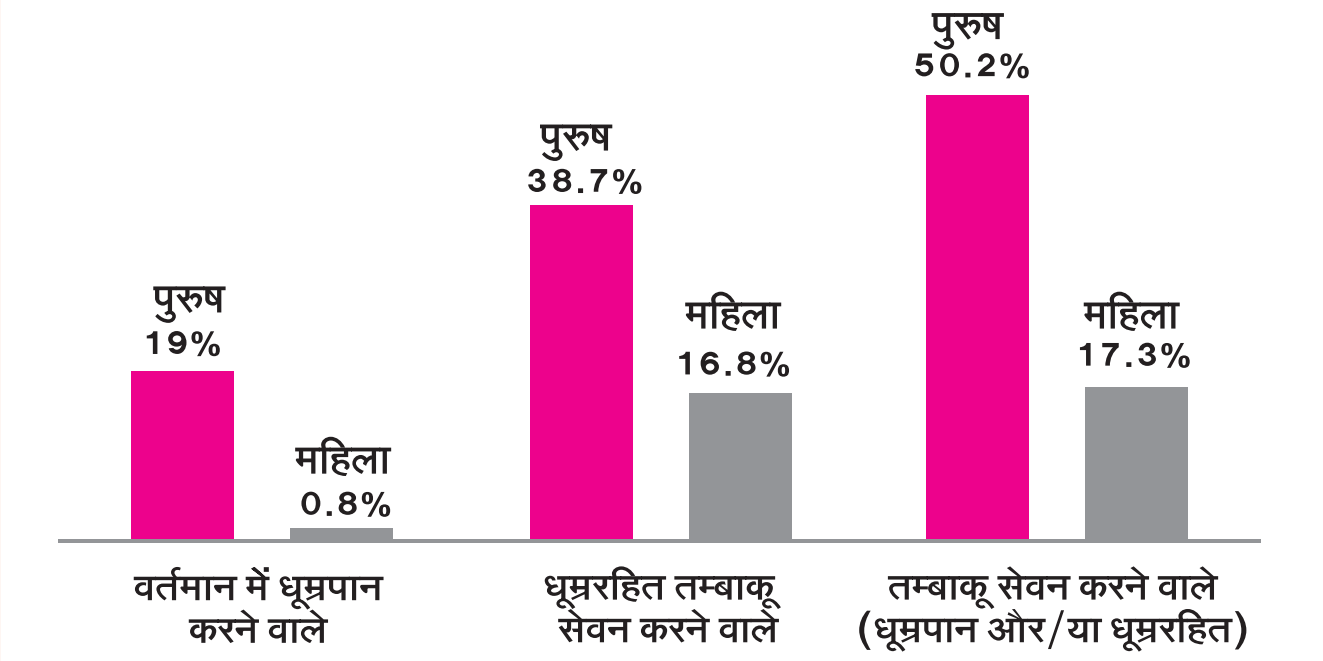

स्त्रोत : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (2016), ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे जीएटीएस 2 इंडिया 2016–17

शासन एवं स्वयं सेवी संस्थानों के प्रयास से मध्य प्रदेश में तम्बाकू उपयोग में उल्लेखनीय गिरावट

तम्बाकू उपयोग : तुलनात्मक विश्लैषण, मध्य प्रदेश
GATS-1 (2009–10) GATS-2 (2016–17)

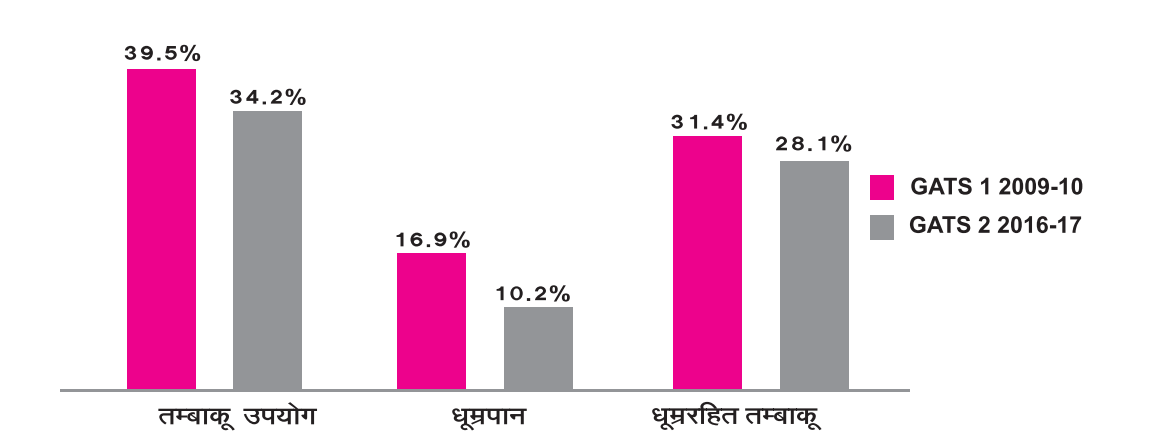

तम्बाकू सेवन धूम्रपान तथा धूम्ररहित तम्बाकू सेवन शुरु करने की आयु (औसतन आयु वर्षो में)
GATS-1 (2009–10) GATS-2 (2016–17)

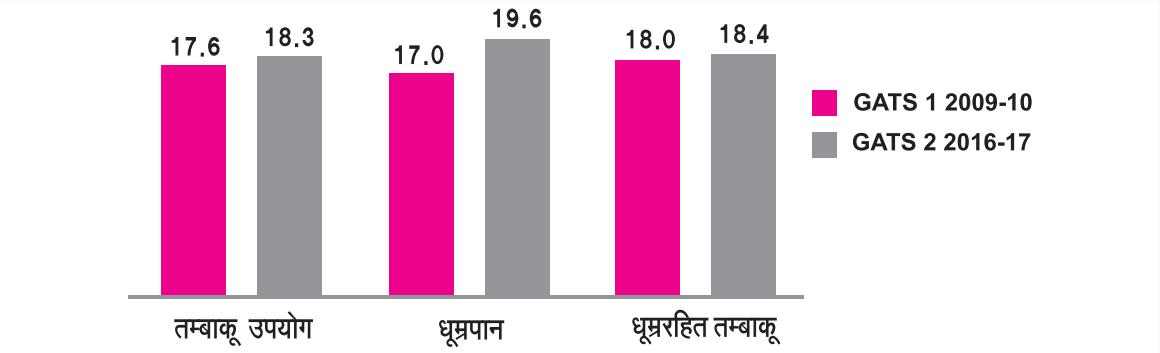

वयस्क जो सार्वजनिक स्थान में अप्रत्यक्ष धूम्रपान के संपर्क में आये
GATS-1 (2009–10) GATS-2 (2016–17)

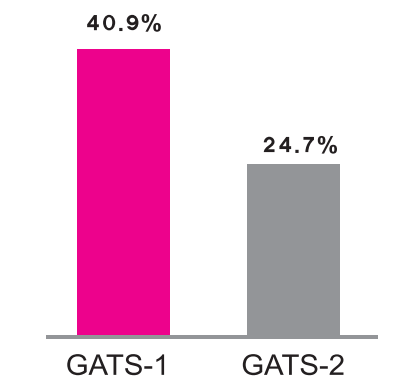

स्त्रोत : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे GATS-1 (2009–10) GATS-2 (2016–17)

GATS 2 | वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण

फ़ैक्ट शीट | मध्य प्रदेश 2016-17

वयस्को में तम्बाकू सेवन का प्रतिशत प्रसार, मध्य प्रदेश 2016-17

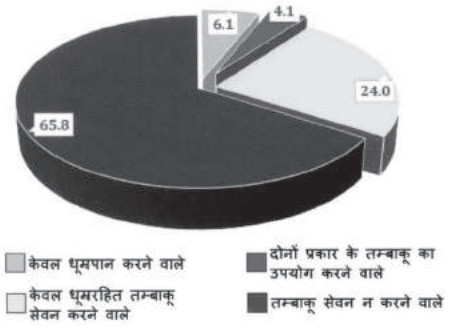

GATS के बारे में

वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (GATS), वयस्को में तम्बाकू उपयोग (धूम्रपान तथा धूम्ररहित तम्बाकू) के आंकड़ो की तथा तम्बाकू नियंत्रण के प्रमुख संकेतकों की सुव्यवस्थित निगरानी (मोनिटरिंग) के लिए वैश्विक मानक है|

GATS एक पारिवारिक सर्वेक्षण है जिसमें भारत के सभी ३० राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के 15 वर्ष या अधिक आयु के लोगो को सम्मालित किया गया है| भारत में GATS का पहला दौरा जून 2009 से जनवरी 2010 के दौरान किया गया था| GATS का दुसरा दौरा अगस्त 2016 से फरवरी 2017 के दौरान टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टी आय एस एस), मुंबई ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के लिए किया| GATS के दोनों दौरों में राष्ट्रिय प्रातिनिधिकता के लिए बहू स्तरीय चयन प्रणाली का उपयोग किया गया| GATS 2 सर्वेक्षण में चुने गए सभी परिवारों से व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिये, 15 वर्ष या अधिक आयु के एक सदस्य का यादृच्छिक (रैनडम) चयन किया गया| मध्य प्रदेश में कुल 1457 पुरुष और 1477 महिलाओं से ओक्टोबर - नवम्बर 2016 के दौरान साक्षात्कार किए गए|

वर्तमा मे तम्बाकू उपयोग का प्रसार, GATS मध्य प्रदेश, 2009-10 और 2016-17 (आकड़े % में)

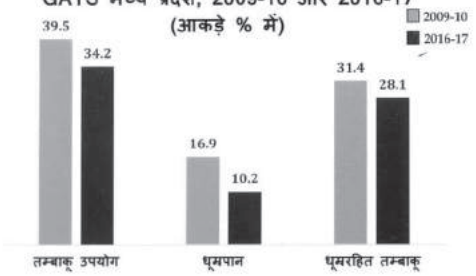

GATS 2 विशेषताएँ

- वर्तमान में धूम्रपान का प्रतिशत: 19.0% पुरुष, 0.8% महिलाएं और कुल 10.2% वयस्क|
- वर्तमान में धूम्ररहित तम्बाकू सेवन का प्रतिशत: 38.7% पुरुष, 16.8% महिलाएं और कुल 28.1% वयस्क|
- धूम्रपान या धूम्ररहित तम्बाकू सेवन या दोनों धूम्रपान और धूम्ररहित तम्बाकू सेवन का प्रतिशत: 50.2% पुरुष, 17.3% महिलाएं और कुल 34.2% वयस्क|
- GATS 1 से GATS 2 तक धूम्रपान के प्रसार में 6.7 प्रतिशत पॉइंट्स की घटत हुई है, जो की सांख्यिकीय महत्वपूर्ण (स्तटिस्टिकली सिग्निफिकंट) है, धूम्ररहित तम्बाकू के प्रसार में भी 3.3 प्रतिशत पॉइंट्स की घटत हुई है जो की सांख्यिकीय महत्वपूर्ण है; किसी भी प्रकार के तम्बाकू के प्रसार में भी GATS 1 (39.5%) से GATS 2 (34.2%) तक 5.3 प्रतिशत पॉइंट्स की घटत हुई है जो की सांख्यिकीय महत्वपूर्ण है|
- गुटखा और खैनी ये दो सबसे जादा आमतौर में उपयोग होने वाले तम्बाकू पढ़ार्थ है; 13.7% और 11.7% वयस्क क्रमशः गुटखा और खैनी का प्रयोग करतें हैं|
- 15-17 वर्ष आयु के व्यक्तियों में तम्बाकू सेवन का प्रसार GATS 1 में 12.3% से GATS 2 में 13.1% तक मामूली बढ़त हुई है|
- तम्बाकू सेवन की शुरुआत करने वाली औसत आयु में GATS 1 में 17.6 वर्ष से GATS 2 में 18.3 वर्ष तक की बढ़त हुई है|
- 43.0% धूम्रपान करने वालों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने वालों से धूम्रपान छोड़ने की सलाह मिली और 28.9% धूम्ररहित तम्बाकू का प्रयोग करने वालों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने वालों से धूम्ररहित तम्बाकू का सेवन छोड़ने की सलाह मिली|
- 38.0% वयस्क जो चार दिवारी के भीतर काम करते हैं, अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क में आते हैं|
- 24.7% वयस्क सार्वजनिक जगहों पर अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क में आते हैं|
- 86.0% सिगरेट पीनेवालों और 53.6 % बीड़ी पीने वालों ने पाकेट पर की चेतावनी के कारण धूम्रपान छोड़ने का विचार किया| 49.6% धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वालो ने पाकेट पर की चेतावनी के कारण धूम्ररहित तम्बाकू सेवन छोड़ने का विचार किया|

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

World Health Organization

TISS

तम्बाकू सेवन, धूमपान तथा धूमरहित तम्बाकू सेवन शुरु करने की आयु, GATS मध्य प्रदेश, 2009-10 और 2016-17

(औसतन आयु वर्षों में)

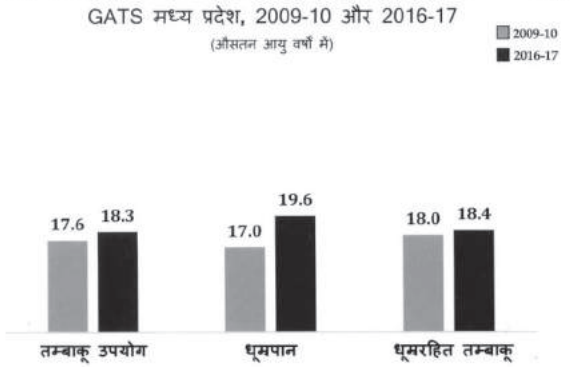

आयु के अनुसार धूमपान और धूमरहित तम्बाकू सेवन का प्रसार, GATS मध्य प्रदेश 2016-17

(आंकडे % में)

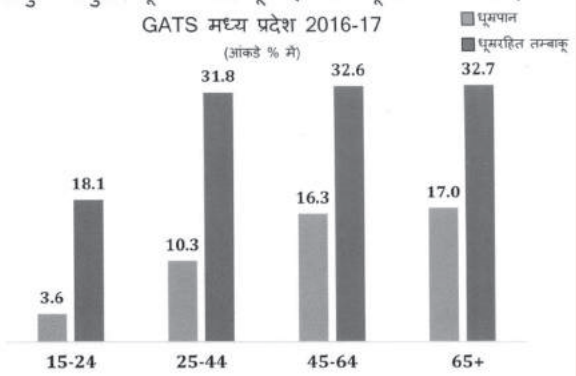

मुख्य संकेतक - GATS 2

तम्बाकू उपयोग	पुरुष (%)	महिलाएं (%)	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	कुल (%) GATS 2	कुल (%) GATS 1
धूमपान						
वर्तमान में धूम्रपान करने वाले	19.0	0.8	6.8	11.6	10.2	16.9
रोज़ाना धूम्रपान करने वाले	15.6	0.7	5.1	9.8	8.4	11.5
वर्तमान में सिगरेट पीने वाले[1]	2.4	0.1	2.4	0.8	1.3	5.1
वर्तमान में बीड़ी पीने वाले	17.2	0.4	5.4	10.7	9.1	13.4
धूमरहित तम्बाकू सेवन करने वाले						
वर्तमान में धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले	38.7	16.8	20.2	31.5	28.1	31.4
रोज़ाना धूमरहित तम्बाकू सेवन करने वाले	32.3	15.7	17.8	27.1	24.3	25.9
वर्तमान में पान के साथ तम्बाकू सेवन करने वाले	5.0	3.2	3.6	4.4	4.1	6.8
वर्तमान में खैनी का सेवन करने वाले	15.0	8.2	5.4	14.4	11.7	14.0
वर्तमान में गुटखा का सेवन करने वाले	21.8	5.0	12.7	14.1	13.7	17.0
वर्तमान में मुंह में लगाने वाले तम्बाकू का उपयोग करने वाले	1.9	6.0	1.7	4.8	3.8	4.5
वर्तमान में पान मसाला के साथ तम्बाकू सेवन करने वाले	7.6	1.0	3.9	4.6	4.4	NA
तम्बाकू सेवन करने वाले						
वर्तमान में तम्बाकू सेवन करने वाले (धूमपान और / या धूमरहित)	50.2	17.3	24.3	38.5	34.2	39.5
वर्तमान में दोनों प्रकार का तम्बाकू सेवन करने वाले (धूमपान और धूमरहित)	7.5	0.3	2.8	4.6	4.1	8.8

वयस्कोंका तम्बाकू सेवन की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण, GATS मध्य प्रदेश 2016-17

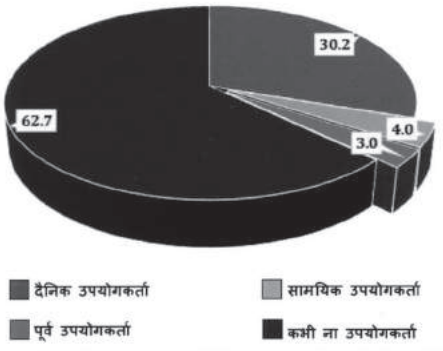

वयस्कों में ज़्यादातर आमतौर में इस्तेमाल होने वाले तम्बाकू पदार्थ का प्रसार , GATS मध्य प्रदेश 2016-17

(आंकडे % में)

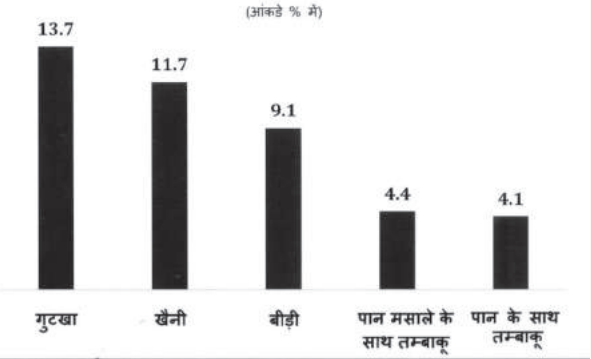

मुख्य संकेतक - GATS 2

छोड़ने का प्रयास	पुरुष (%)	महिलाएं (%)	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	कुल (%) GATS 2	कुल (%) GATS 1
धूम्रपान करने वाले जिन्होने पिछले 12 महीनो में धूम्रपान छोड़ने का प्रयास किया[2]	42.2	41.9[L]	44.5	41.6	42.2	51.3
वर्तमान में धूम्रपान करने वाले जिन्होने धूम्रपान छोड़ने की योजना बनायी या फिर छोड़ने के बारे में सोचा	49.7	12.4[L]	51.8	47.3	48.2	53.6
धूम्रपान करने वाले को जिन्हे पिछले 12 महीनो में स्वास्थ्य सेवको से धूम्रपान छोड़ने की सलाह मिली[2,3]	42.9	45.4[L]	36.8[L]	44.1	43.0	33.4
धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले जिन्होने पिछले 12 महीनो में धूम्ररहित तम्बाकू छोड़ने का प्रयास किया[4]	38.8	30.5	42.2	34.8	36.4	53.7
वर्तमान में धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले जिन्होने धूम्ररहित तम्बाकू सेवन छोड़ने की योजना बनायी या फिर छोड़ने के बारे में सोचा	53.9	48.9	56.0	51.5	52.4	53.1
धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले जिन्हे पिछले 12 महीनो में स्वास्थ्य सेवको से धूम्ररहित तम्बाकू सेवन छोड़ने की सलाह मिली[3,4]	31.8	18.7	28.9	28.9	28.9	21.0

अप्रत्यक्षित धूम्रपान	पुरुष (%)	महिलाएं (%)	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	कुल (%) GATS 2	कुल (%) GATS 1
वस्यक जो घर में अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क में आए[5]	66.8	63.2	41.7	74.9	65.0	70.5
वस्यक जो कार्यस्थल में अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क में आए[6,†]	41.0	23.7	38.2	37.9	38.0	32.0
वस्यक जो किसी भी सार्वजनिक स्थान में अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क में आए[7,†]	36.7	11.9	27.7	23.4	24.7	40.9

अर्थशास्त्र	कुल (₹) GATS 2	कुल (₹) GATS 1
सिगरेट पर औसत मासिक व्यय (दैनिक सिगरेट पीने वालो में) (भारतीय रुपये में)	467.8[L]	544.0[^]
बीड़ी पर औसत मासिक व्यय (दैनिक बीड़ी पीने वालों में) (भारतीय रुपये में)	117.5	158.8[^]

पिछले 30 दिनो में सभी वयस्कों के बीच विभिन्न स्थानो पर अप्रत्यक्षित धूम्रपान से संपर्क , GATS मध्य प्रदेश 2016-17

(आंकडे % में)

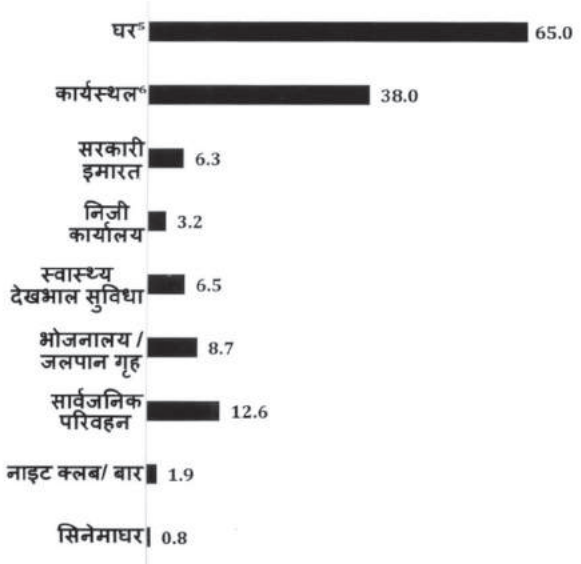

तम्बाकू का दैनिक उपयोगकर्ताओं का सुबह जागने के बाद दिन के पहले तम्बाकू की अवधि अनुसार प्रतिशत वितरण, GATS मध्य प्रदेश 2016-17

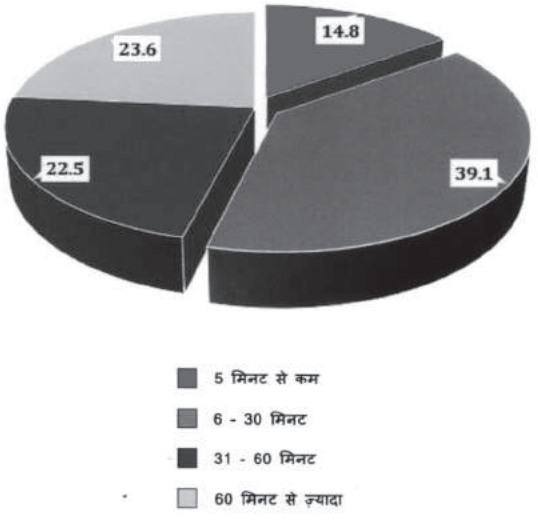

मुख्य संकेतक - GATS 2

तम्बाकू उद्योग विज्ञापन	वर्तमान में धूमपान करने वाले (%)	धूमपान न करने वाले (%)	कुल (%) GATS 2	कुल (%) GATS 1
वयस्क जिनको बिक्री के स्थान पर धूमपान वाले तम्बाकू पदार्थ के विज्ञापन नज़र आये[†]	1.1	1.3	1.2	NA
वयस्क जिनको बिक्री के स्थान के अलावा अन्य स्थान[8] पर धूमपान वाले तम्बाकू पदार्थ के विज्ञापन नज़र आये[†]	1.9	3.3	3.1	NA
वयस्क जिन्होने सिगरेट का किसी भी प्रकार का प्रचार देखा[9,†]	4.2	2.4	2.6	8.3
वयस्क जिन्होने बीड़ी का किसी भी प्रकार का प्रचार देखा[9,†]	7.1	2.0	2.5	11.7
	वर्तमान मे धूमरहित तम्बाकू सेवन करने वाले (%)	धूमरहित तम्बाकू सेवन न करने वाले (%)	कुल (%) GATS 2	कुल (%) GATS 1
वयस्क जिनको बिक्री के स्थान पर धूमरहित तम्बाकू पदार्थ के विज्ञापन नज़र आये[†]	2.2	0.9	1.3	11.4
वयस्क जिनको बिक्री के स्थान के अलावा अन्य स्थान[8] पर धूमरहित तम्बाकू पदार्थ के विज्ञापन नज़र आये[†]	3.8	2.9	3.1	54.2
वयस्क जिन्होने धूमरहित तम्बाकू का किसी भी प्रकार का प्रचार देखा[9,†]	11.3	9.0	9.6	15.1

तम्बाकू-विरोधी सूचना	पुरुष (%)	महिलाएं (%)	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	कुल (%) GATS 2	कुल (%) GATS 1
वर्तमान में सिगरेट पीनेवाले जिन्होने सिगरेट के पाकेट पर की चेतावनी के कारण सिगरेट छोड़ने के बारे में सोचा[†]	88.8	28.8[L]	85.7[L]	86.4[L]	86.0	35.2
वर्तमान में बीडी पीनेवाले जिन्होने बीडी के पाकेट पर की चेतावनी के कारण बीडी छोड़ने के बारे में सोचा[†]	54.5	16.0[L]	55.8	53.1	53.6	39.1
वयस्क जिन्होने टीवी या रेडियो पर धूम्रपान के खतरो के बारें में दी गई सूचना या धूम्रपान छोड़ने को प्रोत्साहित करेने वाली सूचना देखी[†]	70.5	52.9	82.8	53.0	62.0	NA
वर्तमान में धूमरहित तम्बाकू सेवन करने वाले जिन्होने धूमरहित तम्बाकू के पाकेट पर की चेतावनी के कारण धूमरहित तम्बाकू सेवन छोड़ने के बारे में सोचा[†]	59.6	25.0	58.3	47.2	49.6	47.1
वयस्क जिन्होने टीवी या रेडियो पर धूमरहित तम्बाकू सेवन के खतरो के बारें में दी गई सूचना या धूमरहित तम्बाकू छोड़ने को प्रोत्साहित करेने वाली सूचना देखी[†]	62.3	49.2	76.5	47.0	55.9	66.1

ज्ञान, रवैया और धारणा	पुरुष (%)	महिलाएं (%)	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	कुल (%) GATS 2	कुल (%) GATS 1
वयस्क जो मानते हैं कि धूम्रपान के कारण गंभीर बीमारी होती हैं	85.9	91.6	90.8	87.7	88.6	91.7
वयस्क जो मानते हैं की अन्य व्यक्तियों द्वारा किए धूम्रपान के धुएं को सांस द्वारा अंदर लेने से धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों में गंभीर बीमारी होती है	89.9	91.2	96.2	88.1	90.6	84.8
वयस्क जो मानते हैं की अन्य व्यक्तियों द्वारा किए धूम्रपान के धुएं को सांस द्वारा अंदर लेने से बच्चों में गंभीर बीमारी होती है	91.0	93.3	96.9	90.0	92.1	NA
वयस्क जो मानते हैं कि धूम्ररहित तम्बाकू के कारण गंभीर बीमारी होती हैं	96.5	96.5	98.2	95.8	96.5	89.4
वयस्क जो मानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान धूम्ररहित तम्बाकू सेवन के कारण भ्रूण को नुकसान होता है	80.2	94.1	91.3	85.0	86.9	NA

वयस्कों के प्रतिशत जो सिगरेट, बीड़ी और धूम्ररहित तम्बाकू के पैकेट पर की चेतावनी के कारण को तम्बाकू सेवन छोड़ने के बारे में सोचा,

GATS मध्य प्रदेश, 2009-10 और 2016-17

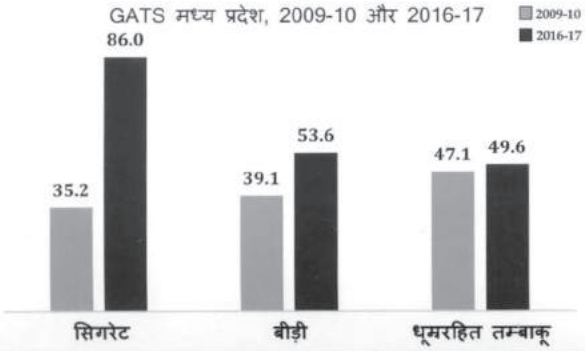

1 निर्मित और हाथ से बने सिगरेट शामिल हैं।
2 वर्तमान मे धूम्रपान करने वाले तथा जिन्होने पिछले 12 महीनों मे धूम्रपान छोड़ा।
3 जो पिछले 12 महीनों मे स्वस्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने वाले के पास गए।
4 वर्तमान मे धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले तथा जिन्होने पिछले 12 महीनों मे धूम्ररहित तम्बाकू छोड़ा।
5 वयस्क जो किसी भी वक्त अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क मे आये।
6 जो घर के बाहर काम करते है और चार दिवारी के भीतर काम करते है या चार दिवारी के भीतर तथा बाहर दोनो जगह मे काम करते है।
7 सार्वजनिक स्थानो मे सरकारी कार्यालय/ इमारते, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा , भोजनालय / जलपान गृह और सार्वजनिक परिवहन के साधन शामिल है।
8 बिक्री के जगह के अलावा मे टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड / होर्डिंग्स, पोस्टर्स, अखबार या पत्रिका, सिनेमा, इंटरनेट, सार्वजनिक परिवहन के साधन या स्टेशन और सार्वजनिक दीवार शामिल है।
9 मुफ्त वितरण, मूल्य से कम पर बेचे जाना, अन्य उत्पाद पर विशेष छूट के प्रस्ताव या मुफ्त उपहार, ब्रांड नाम यौ लोगो (प्रतिक चिन्ह) के साथ किसी भी वस्त्र, मेल में प्रचार और एक ही ब्रांड नाम वाले ऐसे कोई दुसरे पदार्थो का प्रचार (सरोगेट विज्ञापन) शामिल है।
† पिछले 30 दिनों के दौरान।
^ GATS भारत 2009-10 का मूल्य या लागत को मुद्रास्फीति को ध्यान में रख कर समायोजित किया है।
L 25 से काम केसेस।
NA उपलब्ध नही है।

तम्बाकू सेवन के विविध रुप

उद्देश्य :

- प्रतिभागियों को भारत में प्रचलित विभिन्न तम्बाकू उत्पादों के बारे में जानकारी देना।
- प्रतिभागियों को धूम्ररहित व धूम्रपान वाले तम्बाकू उत्पादों के बारे में बताना।
- प्रतिभागियों को तम्बाकू में पाए जाने वाले घातक रासायनिक तत्वों की जानकारी देना।

गतिविधि :

- प्रतिभागियों को भारत में प्रचलित विभिन्न तम्बाकू उत्पादों के बारे में बताना।
- प्रतिभागियों को धूम्ररहित व धूम्रपान वाले तम्बाकू उत्पादों के बारे में समूह चर्चा के माध्यम से बताना।
- तम्बाकू उत्पादों में पाए जाने वाले रासायनिक घटकों की जानकारी देना।

तम्बाकू सेवन :

भारत में पुरूष और स्त्रियां दोनों में ही तम्बाकू सेवन के विभिन्न तौर तरीके प्रचलित है। देश में अलग–अलग क्षेत्रों में तम्बाकू सेवन के विविध रूप है। हर क्षेत्र में तम्बाकू सेवन के खास तरीके प्रचलित है। समय के साथ वह उन क्षेत्रों के सांस्कृतिक वातावरण में घूल मिल गये है। सामान्य तौर पर, धूम्रपान के माध्यम से तम्बाकू सेवन के अन्तर्गत चिलम, पाईप, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, घुमनी, छुट्टा आदि प्रमुख है परन्तु तकनिकी विकास के साथ–साथ धूम्रपान के नये उत्पाद जैसे ई सिगरेट आदि भी प्रचलन में आ गये है।

धूम्र रहित तम्बाकू सेवन का तरीका तम्बाकू को बिना जलाएं ग्रहण करना है। इसके लिये फॉक कर (मुंह द्वारा) और सूंघ कर (नाक द्वारा) तम्बाकू का नशा किया जाता है। तम्बाकू फाकने के कई तरीके है। पुरूष स्त्रियां और बच्चों, सभी में प्रचलित है। धूम्ररहित तम्बाकू सेवन के सामान्य प्रचलित तरीकों में तम्बाकू का पान जर्दा, गुटखा, खैनी, गुड़ाकु, गुल, मावा–मिश्री इत्यादी है। गुजरात में जली हुई तम्बाकू का सेवन किया जाता है जिसे भुज्जा कहते है।

उपयोग के तरीके :

ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे (GATS-2 - 2016-17) के अनुसार भारत में 28.6 प्रतिशत वयस्क किसी न किसी रूप में तम्बाकू का उपयोग करते है जिसमें 42.4 प्रतिशत पुरूष व 14.2 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करती है। विश्व युवा तम्बाकू सर्वेक्षण (ग्लोबल यूथ टूबेको सर्वे–GYTS) के अनुसार 10 वर्ष की आयु से ही बच्चे तम्बाकू सेवन की शुरूआत करने लगते हैं। गांवों में धूम्रपान के अन्तर्गत हुक्का, चिलम, बीड़ी, हुकलिस इत्यादी महिलाएं भी पीती है। शहरों में महिलाओं में सिगरेट पीने का रूझान बढ़ा ही है साथ ही उनमें और बच्चों में चबाने वाली तम्बाकू का इस्तेमाल भी बढ़ा है। 5,500 से अधिक नये किशोर हर रोज तम्बाकू सेवन शुरू करते हैं।

तम्बाकू सेवन के विविध रूप :

धूम्रसहित	धूम्र रहित	प्रयोगार्थ तम्बाकू उत्पाद
सिगरेट	तम्बाकू वाला पान	मिश्री
बीड़ी	पान मसाला + तम्बाकू	गुल
सिगार	आरिका फली, तम्बाकू, चने के साथ घिस कर तैयार	गुटखा
पाइप	मेनपुरी तम्बाकू	तम्बाकू पेस्ट
हुक्का	मावा	
चिलम	सुपारी, मीठा, मावा, जर्दा इत्यादी	
इ सिगरेट		

सांस्कृतिक पक्ष और शिष्टाचार

भारत मे विभिन्न समुदायों में तम्बाकू सेवन के औपचारिक या प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ बहुत गहरे हैं। परम्परागत तौर पर, तम्बाकू सेवन के विभिन्न रूप केवल व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं, सामाजिक तौर पर भी स्वीकार्यता हासिल कर चुके हैं। इन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त हो गई है। उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में एक ही जाति या वर्ग के पुरूष सामूहिक तौर पर हुक्का पीते हैं। इसे भाइचारे और एकता का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में महिलाएं फुरसत के समय मिल–बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाती हैं। भारत के कई कबीलों में तम्बाकू सेवन सामाजिक रीति बन गया है। यह सामुदायिक जीवनचर्या का हिस्सा है। तम्बाकू सेवन के तौर–तरीके हर समुदाय में अलग–अलग हैं। अनेक परम्परागत समाज ऐसे भी हैं, जहाँ तम्बाकू का सेवन व्यक्ति के सामाजिक स्तर, श्रेष्ठता या ऊँची हैसियत, भव्यता या शान का द्योतक है। समाज में व्यक्ति की हैसियत को इस आधार पर भी माना जाता है कि व्यक्ति किस किस्म की तम्बाकू का सेवन करता है। भारत में ऐसे भी गांव हैं जिनमें तम्बाकू सेवन का इतना अधिक महत्व है कि यदि किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाए या उसको सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना हो तो उसका हुक्का–पानी बंद कर दिया जाता हैं अर्थात उसे सामूहिक तौर पर सार्वजनिक रूप से बेदखल कर दिया जाता है।

भारत के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर–पूर्व अंचलों में व्याप्त सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों और परम्परा में तम्बाकू सेवन का विशेष स्थान है। तम्बाकू सेवन सांस्कृतिक तौर पर स्वीकार्य है। यह वहाँ सामाजिक मेल–मिलाप का माध्यम है। उत्तर–पूर्वी भारत में तो अतिथि के सत्कार के लिए

पान–सुपारी के साथ तम्बाकू पेश करने का रिवाज है। महिलाएं घर आए मेहमान का स्वागत तम्बाकू पेश करके करती हैं। मिज़ोरम में महिलाओं की दक्षता तम्बाकू पेय तैयार करने की कुशलता से आंकी जाती है। परन्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परम्पराएं हानिकारक है।

तम्बाकू में घातक रसायनिक तत्व

तम्बाकू के धुंए में 4000 से अधिक घातक रसायन होते हैं। इनमें से 60 ऐसे तत्व होते है जिनसे कैंसर हो सकता है। धूम्ररहित तम्बाकू में लगभग 3000 घातक रसायन होते हैं। इनमें से कार्बन–मोनो ऑक्साइड, टार, निकोटिन, एसीटोन, आर्सेनिक, डीडीटी सर्वाधिक घातक होते हैं। कार्बन–मोनो–ऑक्साइड खून में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। निकोटिन कोकीन और मोरफिन जैसा ही नशीला तत्व है जो व्यक्ति को नशे का आदि बनाता है। टार मूलतः कार्सीनोजैनिक (कैंसर कारक) रसायन हैं। यह तम्बाकू के धुँए में होता है। ये प्राणघातक रसायन धूम्रपान करने वाले के साथ–साथ परोक्ष धूम्रपान करने वाले अर्थात् तम्बाकू सेवन करने वाले के द्वारा छोड़े धुँए से प्रभावित व्यक्ति को भी शिकार बना लेते है। जिनमें मुख्यतः महिला एवं बच्चे शामिल है। यही वजह है कि सामान्य तौर पर लोगों को निकोटिन के घातक स्वरूप को समझने में दिक्कत आती है। लोग गफलत के शिकार होते हैं। इसके खतरों की गम्भीरता नहीं समझ पाते।

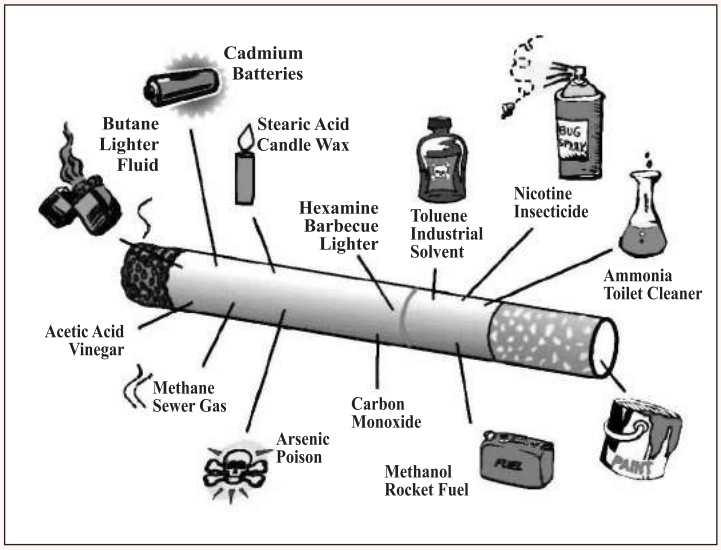

निष्कर्ष :

- प्रतिभागी भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की जानकारी दें सकेंगे।
- प्रतिभागी धूम्रयुक्त तम्बाकू सेवन विधियाँ बता सकेंगे।
- प्रतिभागी धूम्ररहित तम्बाकू सेवन की विधियाँ बता सकेंगे।
- प्रतिभागी तम्बाकू में पाये जाने वाले घातक रसायनों के बारे में बता सकेंगे।

तम्बाकू में पाये जाने वाले घातक रसायन

1. निकोटीन –

यह रसायन कीटनाशक बनाने के काम आता है ।

कीटनाशक

2. आर्कोलिन –

यह रसायन सुपारी में पाया जाता है जो चबाने वाले तम्बाकू में होता है। इससे मुंह और गले का कैंसर हो सकता ।

कैंसर पैदा करने वाला तत्व

3. चूना –

इसका उपयोग घर बनाने में होता है ।

चुना

4. मेन्थॉल –

इसका प्रयोग डॉक्टर शरीर के किसी हिस्से को सुन्न करने के लिए करते है ।

लोकल एनसथिसिया

5. केडमियम –

यह रसायन कार बेटरी में उपयोग होता है ।

कार बेटरी

6. फार्मेलडिहाईड –

यह रसायन मृत शरीर को रखने के काम आता है ।

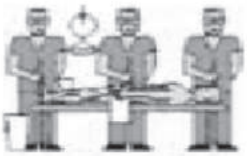

डेड बॉडी प्रिजर्वेटीव

7. सीसा –

यह रसायन विभिन्न तरह के रंगो में प्रयोग होता है। यह दिमाग को क्षति पहुंचा सकता है।

पेन्ट

अभ्यास – पत्र

1. निकोटिन तम्बाकू के अलावा और कहां पाया जाता है।
   - कीट नाशक
   - कार बेटरी
   - कार के धुंए में
2. केडमियम किसमें पाया जाता है ?
   - कार बेटरी
   - सीमेन्ट
   - पेन्ट
3. फर्श साफ करने में.....होता है ?
   - अमोनिया
   - नेफ्थलीन
   - आर्सेनिक
4. उक्त रसायन जो तम्बाकू और कार बेटरी के एग्जॉस्ट में पाया जाता है।
   - आरिकोलिन
   - कार्बन मोनो आक्साइड
   - केडमियम
5. इसका प्रयोग मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।
   - आर्सेनिक
   - फार्मलडिहाईड
   - मेन्थाल
6. इस गैस के प्रभाव में आने से मौत हो सकती है।
   - हाइड्रोजन साईनाईड
   - कार्बन मोनोऑक्साईड
   - नाईट्रोजन
7. इसका प्रयोग चीटीयों को मारने में होता है।
   - अमोनिया
   - निकोटिन
   - आर्सेनिक
8. टार इसमें पाया जाता है।
   - मोरटार
   - पेन्ट
   - कोलटार
9. अमोनिया का प्रयोग इसके लिए होता है।
   - फर्श साफ करने में
   - पेन्ट
   - कीट नाशक के रूप में
10. इसका प्रयोग मकान बनाने में होता है।
    - चूना
    - सीसा
    - आर्सेनिक
11. तम्बाकू में पाया जाने वाला कौनसा पदार्थ सड़क बनाने में उपयोग होता है।
    - टार
    - सीसा
    - आर्सेनिक

तम्बाकू सेवन के दुष्परिणाम

उद्देश्य :

- प्रतिभागी तम्बाकू सेवन के दुष्परिणाम जान सकेंगे।
- प्रतिभागी तम्बाकू सेवन का महिलाओं एवं बच्चों में प्रभाव जान पायेंगे।

गतिविधि :

- तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा करना।
- प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा की प्रस्तुति देना।
- तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विडियो शो दिखाना।
- तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन देना।
- रोल प्ले के माध्यम से सामाजिक / पारिवारिक / आर्थिक मुद्दों को शामिल करते हुए तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा करना ।

प्रचलन :

तम्बाकू सेवन समस्याओं और बीमारियों का घर है। विगत चार दशकों से इस विपत्ति का अहसास गहरा होता जा रहा है। अनेक वैज्ञानिकों एवं महामारी विज्ञान से संबंधित तथ्यों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसाओं के बावजूद विश्व समुदाय, खासकर विकासशील देशों में, समस्या की गम्भीरता के बारे में जितनी जागरूकता होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। दुनिया के अन्य किसी देश के मुकाबले भारत में तम्बाकू की समस्या कदाचित अधिक विकट है। इसकी वजह यह है कि यहाँ जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है जो कि विभिन्न रूपों में धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन करता हैं। देश में हर जगह किसी न किसी रूप में धूम्रपान रहित तम्बाकू मिल जाती है। हर गली के नुक्कड़ पर यह आसानी से उपलब्ध है। पुरूष एवं महिलाओं सभी में इसका व्यापक प्रचलन है।

धूम्ररहित तम्बाकू सेवन से हानियां

दक्षिण एशिया में धूम्ररहित तम्बाकू सेवन का व्यापक प्रचलन हैं। भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में तम्बाकू खाना (चबाना) पुरूषों, स्त्रियों और यहाँ तक कि बच्चों में भी आम बात है। महिलाएं और बच्चे धूम्ररहित तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों की जानकारी के अभाव में सवेरे–सवेरे ताजगी एवं मुँह साफ करने के लिए तम्बाकू का सेवन करते हैं। महिलाएं गर्भावस्था के समय या प्रसव के समय पीड़ा कम करने के लिए तम्बाकू ले लेती हैं। धूम्ररहित तम्बाकू सेवन के सम्भावित गंभीर दुष्परिणाम इस प्रकार है :–

- इससे कई तरह का कैंसर का खतरा होता है। खासतौर से मुँह का कैंसर। विश्व में भारत ही है जहाँ मुँह का कैंसर सर्वाधिक होता है। धूम्रपान रहित तम्बाकू सेवन से मुँह के कैंसर की गुंजाइश चार गुना अधिक बढ़ जाती है। भारत में कैंसर से पीड़ितों में 18 से 20 प्रतिशत लोगों को मुँह का कैंसर ही होता है। यह तम्बाकू सेवन की ही देन है।

- धूम्रसहित तम्बाकू में खतरनाक रसायन होते हैं। धूम्रपान के जरिए तम्बाकू सेवन और धूम्रपान रहित तम्बाकू में निकोटिन की मात्रा लगभग समान होती है। व्यक्ति इसका अभ्यस्त हो जाता है और मौत की ओर बढ़ने लगता है। धूम्रपान रहित तम्बाकू से निकोटिन सीधे खून में जा मिलती है और व्यक्ति इस नशे का आदि हो जाता है।
- धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन करने वाले विशेषकर वे लोग जो लम्बे समय से मुँह या नाक से सूंघकर तम्बाकू लेते हैं। उनके होंठ, जीभ, तालू, ठुड्डी और मसूडों में कैंसर होने की प्रबल सम्भावना रहती है।

खतरे के चिन्ह

तम्बाकू के कारण मुँह के कैंसर के प्राथमिक संकेत निम्न हैं –

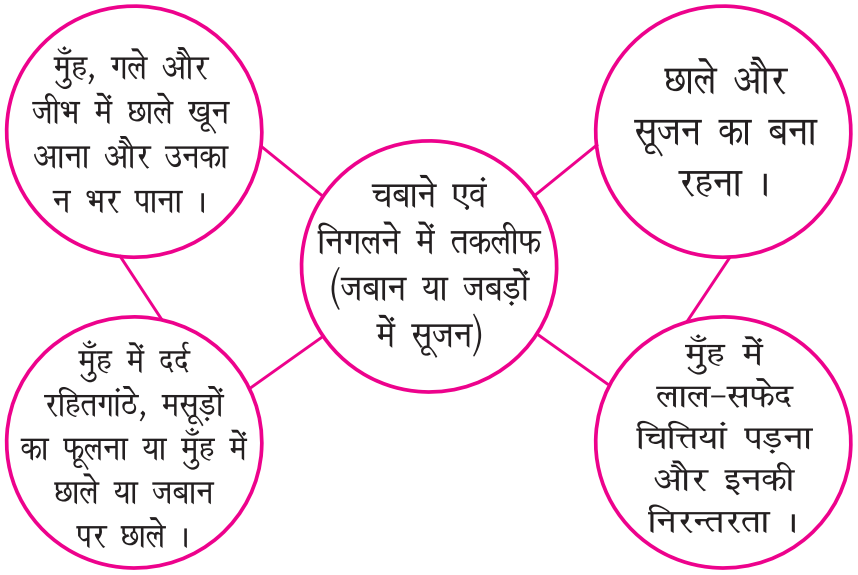

धूम्ररहित तम्बाकू, खैनी, गुटखा व पान मसाला हर कहीं आसानी से छोटे – बड़े पैकों में सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। नौजवान और बच्चे इनका काफी इस्तेमाल करते हैं। भारत में गुटखा एवं पान मसाले के हजारों कारखाने हैं। इनके विज्ञापनों में निशाने पर आमतौर पर किशोर और नवयुवक ही होते हैं। धूम्ररहित तम्बाकू देश के नौजवानों को नशे की लत में फंसा रहा है। इसे रोका नहीं गया तो यह देश में महामारी और विकलांगता की एक बड़ी वजह बन जायेगा।

तम्बाकू सेवन का प्रभाव

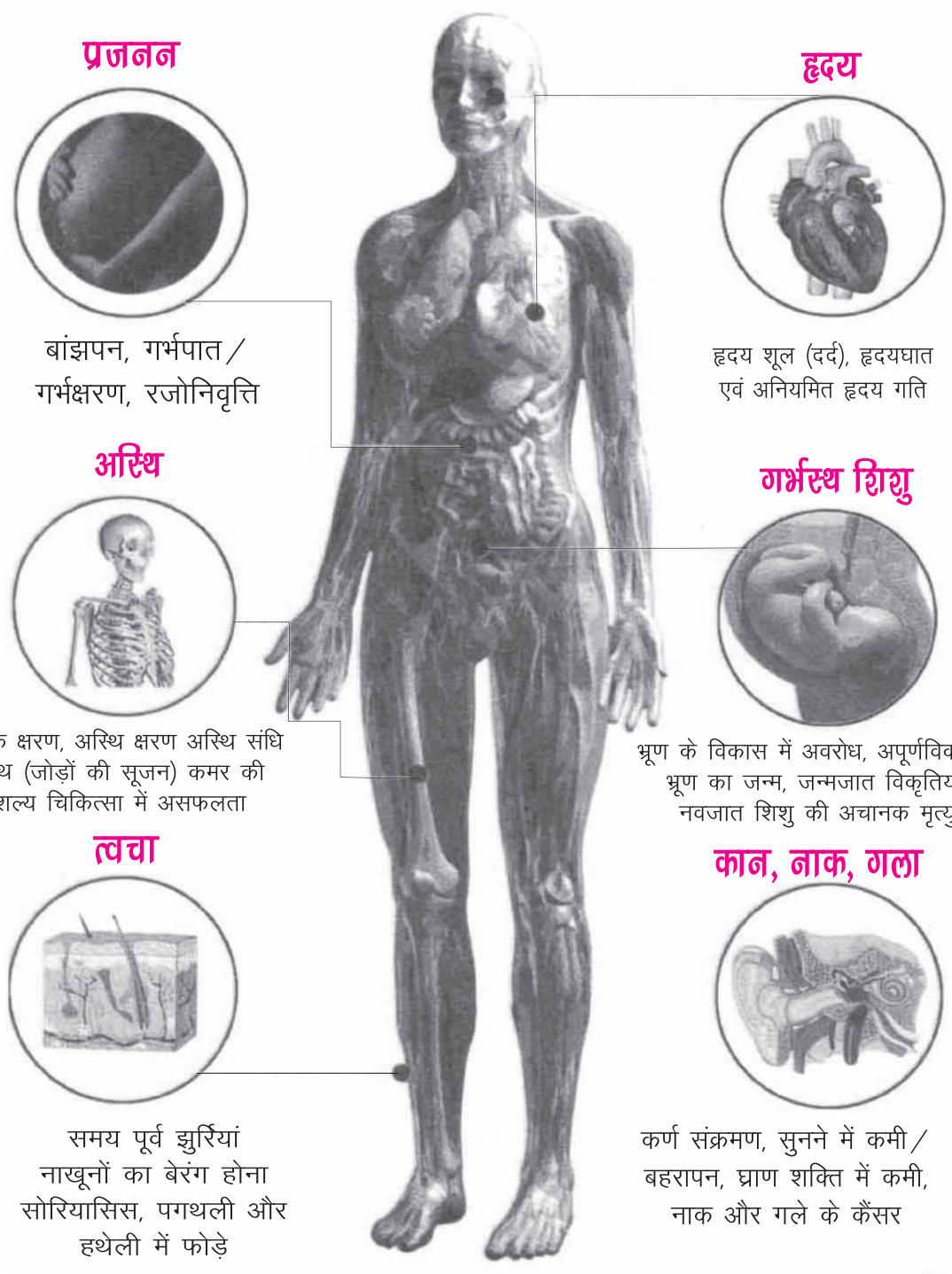

प्रजनन

बांझपन, गर्भपात / गर्भक्षरण, रजोनिवृत्ति

हृदय

हृदय शूल (दर्द), हृदयघात एवं अनियमित हृदय गति

अस्थि

डिस्क क्षरण, अस्थि क्षरण अस्थि संधि शोथ (जोड़ों की सूजन) कमर की शल्य चिकित्सा में असफलता

गर्भस्थ शिशु

भ्रूण के विकास में अवरोध, अपूर्णविकसित भ्रूण का जन्म, जन्मजात विकृतियां, नवजात शिशु की अचानक मृत्यु

त्वचा

समय पूर्व झुर्रियां
नाखूनों का बेरंग होना
सोरियासिस, पगथली और हथेली में फोड़े

कान, नाक, गला

कर्ण संक्रमण, सुनने में कमी / बहरापन, घ्राण शक्ति में कमी, नाक और गले के कैंसर

महिला

तम्बाकू सेवन का प्रभाव

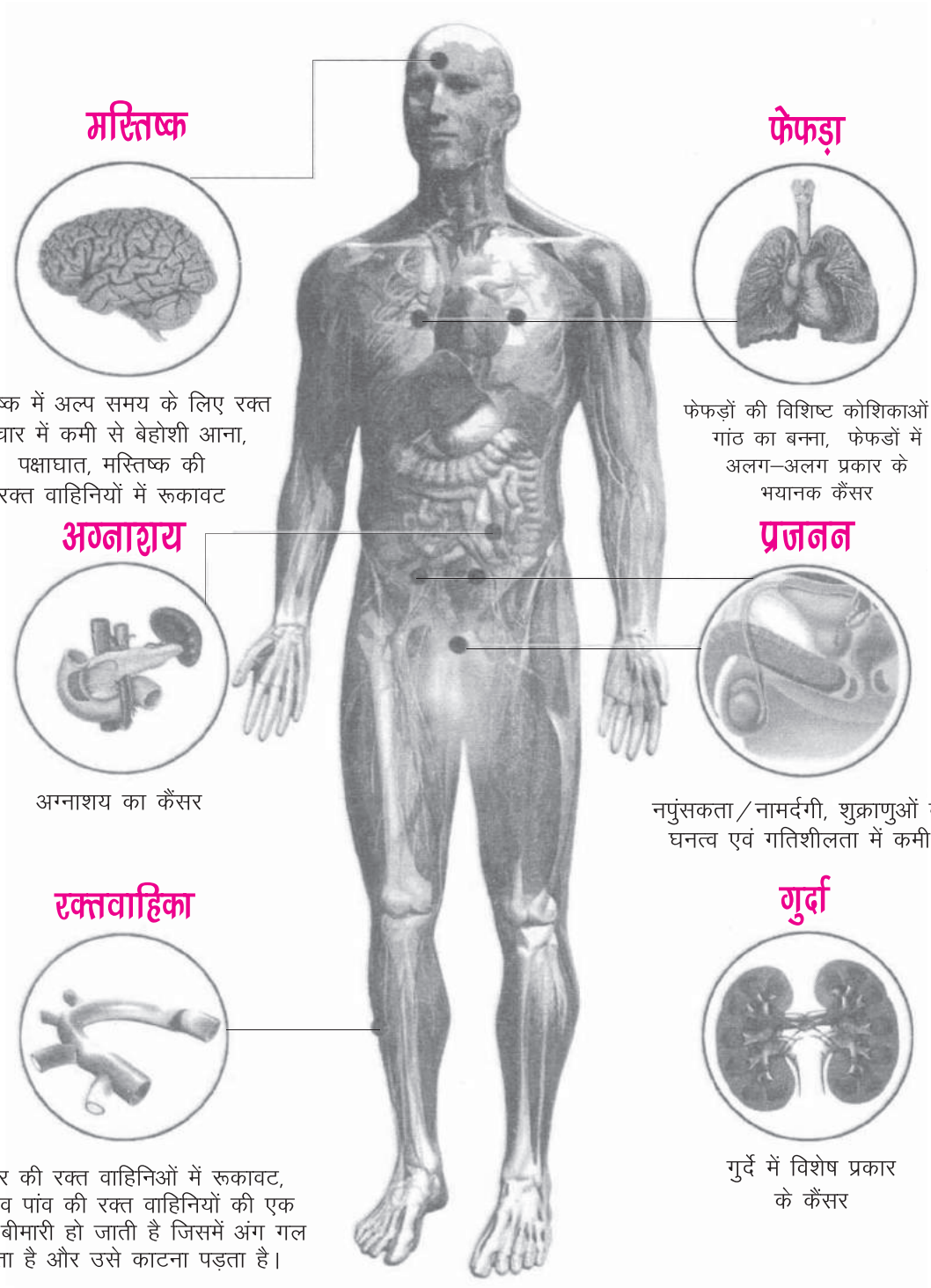

मस्तिष्क

मस्तिष्क में अल्प समय के लिए रक्त संचार में कमी से बेहोशी आना, पक्षाघात, मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों में रूकावट

फेफड़ा

फेफड़ों की विशिष्ट कोशिकाओं में गांठ का बन्ना, फेफडों में अलग–अलग प्रकार के भयानक कैंसर

अग्नाशय

अग्नाशय का कैंसर

प्रजनन

नपुंसकता/नामर्दगी, शुक्राणुओं के घनत्व एवं गतिशीलता में कमी

रक्तवाहिका

शरीर की रक्त वाहिनिओं में रूकावट, हाथ व पांव की रक्त वाहिनियों की एक विशेष बीमारी हो जाती है जिसमें अंग गल जाता है और उसे काटना पड़ता है।

गुर्दा

गुर्दे में विशेष प्रकार के कैंसर

पुरूष

तम्बाकू सेवन का महिलाओं पर प्रभाव

भारत के ज्यादातर राज्यों में हालांकि महिलाओं में धूम्रपान काफी कम है परन्तु शहरों में अब यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में धूम्रपान रहित तम्बाकू का प्रयोग काफी है। तम्बाकू कम्पनियां महिलाओं के धूम्रपान के नित नए ब्राण्ड बाजार में पेश कर रही हैं। महिलाओं में ऐसा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जैसा कि महिलाओं के लिए सिगरेट पीना गर्व की बात हो, इसी प्रकार तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन इस प्रकार बनाये जाते हैं जिससे बच्चे और किशोर उनकी ओर आकर्षित होते हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान उतना ही खतरनाक है जितना कि पुरूषों के लिए। महिलाओं के साथ एक और बात यह है कि धूम्रपान से प्रजनन अंगों, प्रसव एवं गर्भस्थ शिशु पर भी कुप्रभाव होता है।

- ऐसी महिलाएं जो कि गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करती हैं, मुमकिन है उन्हें समय से पूर्व प्रसव हो जाए अथवा मृत शिशु जन्म हो।
- धूम्रपान करने वाली महिलाओं के बच्चे प्रायः कम वजन (दुर्बल) वाले होते हैं, इसलिए आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं।
- धूम्रपान करने वाली महिलाओं की प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है, परोक्ष धूम्रपान से प्रसव विलम्बित एवं कठिन होता है।
- धूम्रपान करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई समस्याएं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, गर्भनाल का समय पूर्व उच्छेदन तथा गर्भाशय की झिल्ली का समय से पूर्व फटना आदि हो सकता हैं।
- वे युवतियाँ जो तम्बाकू का सेवन करती हैं, उनका मासिकधर्म चक्र अव्यवस्थित हो जाता है, या रूक जाता है, इस समय उन्हें दर्द, माहवारी पूर्व तनाव, अनियमितता एवं खून की कमी जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।
- लम्बे समय तक धूम्रपान के माहौल में रहना, जहाँ सांस के साथ तम्बाकू का धुआं भी ग्रहण होता हो तो ऐसी स्थिति में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
- तम्बाकू सेवन करने वाली महिलाओं के मासिक धर्म का समापन 2–3 वर्ष पूर्व हो जाता है।
- दिन में यदि मां 20 या इससे अधिक सिगरेट पीती हैं तो ऐसी स्थिति में नवजात शिशु की आकस्मिक मृत्यु की संभावना लगभग दो गुना बढ़ जाती है जिसे सेरिब्रल हेमरेज की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं और खतरा अधिक होता है।
- धूम्रपान करने वाली महिलाओं को नवजात शिशु को दूध पिलाने में दिक्कत होती है।
- जीवन साथी या परिवार के अन्य सदस्य के धूम्रपान के कारण महिलाएं परोक्ष धूम्रपान का शिकार होती है। यह महिलाओं के अधिकारों का हनन है।

तम्बाकू सेवन का बच्चों पर प्रभाव

हमारे देश में 50 लाख बच्चे धूम्रपान करते हैं। इनके अतिरिक्त, 55 हजार बच्चे हर वर्ष नियमित रूप से तम्बाकू सेवन करने वालों की सूची में जुड़ रहे हैं। धूम्रपान करने वालों में से 80 प्रतिशत पहली सिगरेट 8 से 13 वर्ष की आयु में पीते हैं। परोक्ष धूम्रपान के शिकार होने वालों में भी बच्चे ही सबसे अधिक हैं। कम या मध्य आय वाले क्षेत्रों में समस्या अधिक विकट है। यहाँ उपयोग में आने वाली सिगरेटों में टार तत्व की अधिकता होती है, जहां काफी घनी बस्ती हैं, कम जगह में अधिक लोग रहते हैं, तम्बाकू पीने वाले जो धुआं उड़ाते हैं, उससे बच्चों पर काफी कुप्रभाव पड़ता हैं। मां यदि धूम्रपान करती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर घातक प्रभाव होता है।

ऐसे माता–पिता या अभिभावक जो कि स्वयं धूम्रपान करते हैं उनके बच्चे भी अक्सर सिगरेट आदि पीने लगते हैं। बाद में वे भी वयस्क होने पर अभिभावकों की नकल करते–करते इस व्यसन के अभ्यस्त हो जाते हैं। शुरू में बच्चे देखा–देखी सिगरेट पीना शुरू करते हैं। ज्यादातर सम्भावना यही रहती है कि जो बच्चे कम आयु में तम्बाकू सेवन शुरू करते हैं वे फिर सारी जिंदगी इसे जारी रखते हैं। तम्बाकू से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा उनके लिए काफी ज्यादा होता है।

सप्ताह में कुछ सिगरेट पीने वाले बच्चों की सिगरेट नहीं पीने वाले बच्चों से तुलना की तो ज्ञात हुआ कि उनमें :–

- सर्दी जुकाम, कफ, बलगम आदि के कारण सांस लेने की समस्या के शिकार अधिक होते हैं।
- कान का संक्रमण बढ़ता है।
- सबआरक्रोनाइड ब्रेन हेमरेज के आघात का खतरा छः गुना अधिक बढ़ जाता है।
- फेफड़े प्रभावित होते हैं और खेल–कूद, दौड़–भाग की क्षमता घटती है।
- दिल के दौरे का खतरा बढ़ता है।
- फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ता है।

बच्चों को तम्बाकू सेवन के दुष्परिणाम बताना अत्यंत जरूरी

बच्चों के आस-पास धूम्रपान के परिणाम :

- नवजात शिशु की अकस्मात् मौत का संकट।
- फेफड़े से संबंधित समस्याएँ
- कान का संक्रमण।
- गम्भीर अस्थमा।
- सर्वमुखी विकास में रूकावट।
- काली खांसी (ब्रांकाइटिस)
- निमोनिया

परोक्ष धूम्रपान व उसके दुष्परिणाम

उद्देश्य :

- प्रतिभागी परोक्ष धूम्रपान क्या है जान सकेंगे।
- प्रतिभागी परोक्ष धूम्रपान के प्रभाव व दुष्परिणाम को जान सकेंगे।

गतिविधि :

- प्रतिभागियों को बताना की परोक्ष धूम्रपान क्या होता है ।
- प्रतिभागियों को बताना की परोक्ष धूम्रपान का शरीर पर क्या असर होता है।
- प्रतिभागियों को परोक्ष धूम्रपान की हानियों के बारे में बताना।
- परोक्ष धूम्रपान के बारे में प्रतिभागियों के विचार जानना।

परोक्ष धूम्रपान क्या है ?

जब कोई व्यक्ति, सिगरेट, बीड़ी का सेवन कर रहा हो तो उससे निकले धुएँ में सांस लेने को निष्क्रिय / परोक्ष धूम्रपान कहते हैं।

परोक्ष धूम्रपान और उसके प्रभाव

परोक्ष धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके ढेरों सबूत हैं। विगत चार दशकों में हुए सैकड़ों अध्ययनों, शोध और प्रयासों ने तम्बाकू उपयोग की घातकता को प्रमाणित किया है। इस बात पर वैज्ञानिकों में आम सहमति है कि परोक्ष धूम्रपान अनेक गंभीर एवं घातक बीमारियों को जन्म देता है। तम्बाकू के धुंए से हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा आदि अनेक बीमारियाँ होती हैं। अनुसंधानों ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि परोक्ष धूम्रपान के कारण अनेक घातक रोग हो जाते हैं। परोक्ष धूम्रपान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अब अधिकाधिक जानकारियाँ एकत्रित हो रही हैं। परोक्ष धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसकी गंभीरता के ही कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परोक्ष धूम्रपान के दुष्परिणामों से आम लोगों की हिफाजत, जन जागृति लाने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया है।

परोक्ष धूम्रपान का वयस्कों पर दुष्प्रभाव :

- फेफड़ों का कैंसर
- हृदय में खून की कमी संबंधित बीमारियां
- पक्षाघात, हृदय शूल आदि रोगों का खतरा
- अजीर्ण श्वास रोग
- अस्थमा
- हृदय संबंधित समस्याओं को बढ़ावा
- आंख एवं नाक के संक्रमण
- सिर दर्द
- गले में छाले
- चक्कर आना
- मतली, मिचली या उल्टी आना
- बलगम
- श्वांस संबंधित समस्याएँ

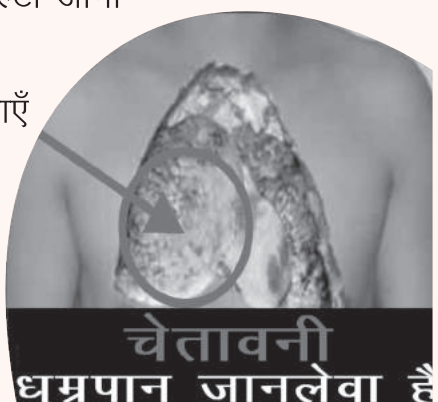

तम्बाकू नियंत्रण के लिये उभरती हुई चुनौतियाँ

1. इ सिगरेट : इलेक्ट्रानिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम (ENDS)

यह वर्तमान में प्रचलित है यह एक बैटरी चलित उपकरण होता है । जिसमें पोलिप्रापाइलिन ग्लाइकोल, गिलसरोल, डिस्टिल्ड पानी और सुगंध के साथ निकोटिन को गर्म कर भाप में परिवर्तित किया जाता है । जब इसका सेवन किया जाता है तो निकोटिन धूएं के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। यह दावा किया जाता है कि यह सिगरेट बीड़ी आदि से कम हानिकारक है लेकिन अभी इसको लेकर संशय है। भारत के कई राज्यों में **इ सिगरेट** को प्रतिबंधित किया जा चुका है।

युवाओं में यह बहुत प्रचलित है और इसका उपयोग धीरे धीरे बढ रहा है और इसका बाजार बहुत बढ गया है ज्यादातर यह ऑनलाइन शापिंग साइट से मंगाई जाती है। सरकार को इस पर शीघ्र प्रतिबंध लगाने की जरुरत है।

2. एच. एन. बी. उत्पाद (हीट नाट बर्न उत्पाद) :

यह भी एक उभरता हुआ उत्पाद है जोकि परम्परागत तम्बाकू उत्पाद और **इ सिगरेट** के बीच में आता है। इसमें तम्बाकू को कम तापमान पर गर्म किया जाता है और उसे जलाया नही जाता (जैसे की सिगरेट या बीड़ी में होता है।) इसमें तम्बाकू को गर्म कर वाष्प में परिवर्तित कर सिगार के समान माउथ पीस में उपयोग में लाकर पिया जाता है। इसमें जिस जिस जगह तम्बाकू की पत्ती को रखा जाता है उसे हर बार रिचार्ज करना पड़ता है।

यह कम हानिकारक है कहकर इसे प्रचारित किया जाता है लेकिन अभी तक इसकी पुष्टी नही होसकी है। इसके लिये इसकी जाँच स्वतंत्र एजेन्सियों से कराने की जरुरत है। इन पदार्थ को सिगरेट छोडने के लिये प्रचारित किया जाता है। लेकिन इन पदार्थो से धूम्रपान को बढ़ावा भी मिलता है इसलिये इन्हें प्रतिबंधित किए जाने की जरुरत है।

3. हुक्का :

हुक्के का प्रयोग दिन पर दिन युवाओं में बढता जा रहा है। हुक्के में एक प्रकार का वाटर पाईप होता है जिससे तम्बाकू का सेवन किया जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे शीशा इत्यादी। हुक्के का स्वाद बढाने के लिये इसमें विभिन्न तरह के फ्लेवर मिलाये जाते है जैसे कॉफी, स्ट्राबेरी, चाकलेट इत्यादी। जो युवाओं को आकर्षित करते है। कॉफी शाप की आड़ में कई हुक्का बार खुल जाते है इस पर रोक लगाने की सख्त जरुरत है ।

नोट : किशोरों एवं वयस्कों को बचाने के लिये विभिन्न कानून को लागू कर प्रतिबंध जरुरी।

अभ्यास –पत्र

(✓) सही (✗) गलत में जवाब दें :

1. तम्बाकू का उपयोग चबाने और धूम्रपान करने में किया जा सकता है ।

   ( ) सही ( ) ग़लत

2. मध्य प्रदेश में धूम्रपान करने वाले लोगों का प्रतिशत भारत में धूम्रपान करने वालों से ज़्यादा है।

   ( ) सही ( ) ग़लत

3. भारत में हर वर्ष 12 से 13 लाख लोगों की मृत्यु तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण होती है।

   ( ) सही ( ) ग़लत

4. तम्बाकू में 4000 किस्म के रसायन पाए जाते हैं।

   ( ) सही ( ) ग़लत

5. परोक्ष धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

   ( ) सही ( ) ग़लत

6. चबाने वाले तम्बाकू से मुंह के कैंसर होने का खतरा होता है।

   ( ) सही ( ) ग़लत

7. जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करती है उनमें समय से पूर्व प्रसव और मरा हुआ बच्चा पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है।

   ( ) सही ( ) ग़लत

8. परोक्ष धूम्रपान के कारण हृदय एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ नहीं होती हैं।

   ( ) सही ( ) ग़लत

9. सिगरेट पीने से बीड़ी पीना ज्यादा सुरक्षित है।

   ( ) सही ( ) ग़लत

खण्ड–2 तम्बाकू आपदा नियंत्रण

इस खण्ड में प्रतिभागी तम्बाकू आपदा नियंत्रण के बारे में विभिन्न स्तर पर हो रहे प्रयासों के बारे में जान पायेंगे ताकि प्रतिभागियों को तम्बाकू आपदा नियंत्रण के बारे में समझ बन सके। इसके अलावा प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए तंबाकू नियंत्रण कानून के बारे में भी बताया जाएगा ताकि उन्हें कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में पता चल सके।

उद्देश्य :

- प्रतिभागी तम्बाकू आपदा नियंत्रण के लिये किये जा रहे शासकीय प्रयासों के बारे में जान सकेंगे।
- तम्बाकू आपदा नियंत्रण के लिए किए जा रहे सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों को जान सकेंगे।

गतिविधि :

- विषय विशेषज्ञ द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कानून के परिपालन में शासकीय प्रयासों की प्रस्तुति देना।
- समूह चर्चा के माध्यम से जन भागीदारी के प्रयासों पर चर्चा करना।
- समूह चर्चा की प्रस्तुति देना।
- व्यक्तिगत स्तर पर किये गये प्रयासों पर चर्चा को प्रोत्साहित करना।

वैश्विक प्रयास : FCTC

विश्व स्तर पर सभी चिकित्सा और वैज्ञानिक प्राधिकारी समूहों के बीच इस बात पर प्रबल सहमति है कि तम्बाकू सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर चुनौती है। जन सामान्य को इससे दूर रखने के लिये जन जागरूकता जरूरी है ।

विश्व परिदृश्य –

- तम्बाकू आपदा को नियंत्रित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) के तत्वावधान में एकअंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई जिसे ''तम्बाकू नियंत्रण के लिए प्रारूप सम्मेलन (FCTC) –"Framework Convention on Tobacco Control" कहा जाता है। इस संधि का उद्देश्य तम्बाकू के कारण होने वाली मृत्यु और रोगों को कम करना।

''तम्बाकू नियंत्रण के लिए प्रारूप सम्मेलन'' के विभिन्न अनुच्छेद :

- अनुच्छेद 5.3 : तम्बाकू उद्योग के वाणिज्यिक और अन्य निहित स्वार्थो से तम्बाकू नियंत्रण के संबंध में बनाई गई नितियों के संरक्षण से संबंधित उपाय।
- अनुच्छेद 8 : धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों को परोक्ष धूम्रपान से बचाने से संबंधित उपाय
- अनुच्छेद 9–10 : तम्बाकू उत्पादों की सामग्री के विनियमन से संबंधित उपाय।
- अनुच्छेद 11 : तम्बाकू उत्पादों की पेकेजिंग और लेबलिंग से संबंधित उपाय।
- अनुच्छेद 12 : शिक्षा, संचार, प्रशिक्षण और सार्वजनिक जागरूकता से संबंधित उपाय।
- अनुच्छेद 13 : तम्बाकू विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन को रोकने संबंधित उपाय
- अनुच्छेद 14 : तम्बाकू परित्याग से संबंधित उपाय

विश्व स्वास्थ्य संगठन के छः उपाय जो विभिन्न देशो में तम्बाकू का उपयोग कम कर सकते है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने FCTC के प्रभावी क्रियान्वयन और तम्बाकू नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु MPOWER पैकेज बनाया है जो विभिन्न देशों को तम्बाकू नियंत्रण के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनी क्षमता बढाने के लिये मदद करता है MPOWER उपायों का सफल क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में तम्बाकू आपदा का बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

M – मॉनीटर तम्बाकू उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी	प्रदेश में तम्बाकू आपदा से सम्बन्धित जानकारी समय–समय पर इकट्ठी कर उसे नीतियों को तैयार करने में उपयोग करना चाहिए।
P – प्रोटेक्ट लोगों को तम्बाकू उत्पादों के धुंए से बचाया जाए	परोक्ष धूम्रपान का कोई सुरक्षित स्तर नही है यहाँ तक की तम्बाकू के धूंए का संक्षिप्त सम्पर्क की गंभीर क्षति का कारण बन सकता है। प्रदेश के लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले धूम्रपान से बचाने की सख्त जरुरत है।
O – ऑफर तम्बाकू का उपयोग छुडवाने में मदद करें।	जब तम्बाकू उपयोग कर्ताओं को उसके जोखिमों के बारे में पता चलता है तो वे उसे छोड़ना चाहते है। प्रदेश सरकार तम्बाकू निर्भरता के इलाज के लिए तम्बाकू परित्याग केन्द्रों की स्थापना कर लोगों को तम्बाकू छुड़वाने में मदद कर सकती है। जिसमें शामिल है मुफ्त टेलीफोन हेल्पलाईन, तम्बाकू परित्याग केन्द्र, छोड़ने के लिये सलाह आदि।
W – वार्न तम्बाकू के बारे में लोगों को चेतावनी देना।	तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी देकर सरकार कम लागत में ज्यादा लोगों को तम्बाकू के खतरों से आगाह कर सकती है – प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे की सभी तम्बाकू उत्पादों पर निर्धारित 85 प्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनीयाँ लागू हो ताकि लोगों का खतरों से अवगत किया जा सकें। तम्बाकू विरोधी विज्ञापनों के माध्यम से तम्बाकू के खतरों से लोगों को अवगत किया जा सकता है।
E –एनफोर्स तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रायोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की जरुरत	तम्बाकू उद्योग तम्बाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार पर करोडों रुपये खर्च करता है। प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए की किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन ना हो इससे युवाओं को तम्बाकू उत्पादों के प्रति आकर्षण कम किया जा सकेगा।
R –रेंज़ टेक्सेस तम्बाकू उत्पादों पर कर बढ़ाए जाएं।	तम्बाकू उत्पादो की खपत कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि इसकी लागत बढ़ा दी जाए। प्रदेश सरकार विभिन्न करो के माध्यम से तम्बाकू उत्पादों की कीमत ज्यादा कर सकती है जिससे तम्बाकू का उपभोग कम होगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

भारत सरकार द्वारा प्रयास

घटनाक्रम –

सिगरेट एक्ट पारित होने के समय 1975 से भारत सरकार ने तम्बाकू नियंत्रण के लिए लगातार कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं।

1975 से 2003 तक किये गये सरकारी प्रयासों का संक्षेप में क्रमवार तरीके से यहाँ उल्लेख किया जा रहा है –

1975

सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनामयक) अधिनियम : स्वास्थ्य चेतावनी →

1980

केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने तम्बाकू व्यापार पर कई प्रतिबंध लगाए और वे तम्बाकू नियंत्रण के लिये मुकम्मल कानून बनाने की दिशा में सक्रिय हुई।

1990

केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के लिए निर्देश जारी किए, आकाशवाणी एवं टी.वी. चैनलों पर तम्बाकू के विज्ञापनों को निषिद्ध किया और शिक्षण संस्थाओं के निकट तम्बाकू बिक्री को निषिद्ध करने और खाने वाले तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी अनिवार्य करने के लिए नियम बनाने के लिए निर्देशित किया। ←

1991

''तम्बाकू या हैल्थ'' विषय पर क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर परामर्श।

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) को चलचित्र प्रदर्शन अधिनियम (सिनेमेटोग्राफी एक्ट), 1952 के लिए तम्बाकू नियंत्रण संबंधित निर्देशों के अनुरूप अनुपालन के लिए निर्देशित किया।

1993

केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम को सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदित कर दिया और यह तय किया कि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के लिए व्यापक तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम बनाया जाएगा। →

1995

छठवीं लोकसभा के अधीन विधायी संसदीय समिति ने सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियामक) अधिनियम, 1995 की नियमावली पर विचार किया और तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सख्त प्रावधान का सुझाव दिया।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तम्बाकू प्रयोग के अर्थशास्त्र पर विशेषज्ञ समिति गठित।

केन्द्रीय सरकार ने इन अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए समन्वय समिति बनाई। →

1999

केरल उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान रोक की घोषणा की।

रेल मंत्रालय ने रेलवे प्लेटफार्म और रेलगाड़ी के भीतर सिगरेट बीड़ी की बिक्री प्रतिबंधित की।

2000

केन्द्र सरकार ने केबल टेलीविजन पर तम्बाकू के विज्ञापन को प्रतिबंधित किया।

2001

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का आदेश दिया।

केन्द्रीय मंत्रालय ने रेलगाड़ियों के भीतर गुटखा की बिक्री को प्रतिबंधित किया।

भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NCHR) ने जन स्वास्थ्य एवं मानवाधिकर विषय पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय परामर्श संयोजित किया और तम्बाकू नियंत्रण को मानवाधिकार के आवश्यक मानक के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा।

2001–2003

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार एवं गोवा राज्यों में गुटखा उत्पादन और पान मसाला की बिक्री को प्रतिबंधित किया। पान मसाला एवं तम्बाकू रहित पान मसाला दोनों के उत्पादन एवं बिक्री पर यहाँ रोक लगाई गई है।

2003

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय, और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (COTPA) बनाया है।

भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 01 मई 2004 से लागू हुआ है। इसे सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 कहते हैं। Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution)Act, 2003 (COTPA) यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत ने एफसीटीसी (तंबाकू नियंत्रण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संधि) चर्चा के दौरान नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी और यह एशियाई देशों का क्षेत्रीय समन्वयक था। विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रथम तम्बाकू नियंत्रण सम्मेलन (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) 21 मई, 2003 को स्वीकार किया गया। इससे भी पहले भारत सरकार ने 18 मई 2003 को तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के रूप में व्यापक कानून बना लिया था। इस अधिनियम में तम्बाकू नियंत्रण प्रथम सम्मेलन (एफसीटीसी) के प्रावधानों का ज्यादातर भाग पहले ही सम्मिलित है।

निष्कर्ष :

- प्रतिभागी भारत सरकार द्वारा किये गये तम्बाकू नियंत्रण संबंधि प्रयासों की जानकारी दे सकेंगे।
- प्रतिभागी क्षेत्रीय स्तर पर किये गये स्थानीय प्रयासों को बता सकें।
- प्रतिभागी व्यक्तिगत स्तर पर तम्बाकू सेवन को रोकने के लिये किये गये प्रयासों पर चर्चा कर सकेंगे।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)

परिचय

भारत सरकार ने मई 2003 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कानून पारित किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने, तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुकता प्रस्तावित करने के साथ–साथ डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी के दायित्वों को पूरा करने के लिये42 जिलों /देश के 21 राज्यों और संघ शासित राज्यों में वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) का शुभारम्भ किया।

उद्देश्य :

- तम्बाकू नियंत्रण कानून और तम्बाकू के उपयोग द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में अधिक से अधिक जागरुकता प्रसारित करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाना।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य तम्बाकू के उपयोग को नियंत्रित करना तथा इसकी वजह से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है।

वर्तमान में NTCP देश के 36 प्रदेशों में करीब 500 जिलों में चल रहा है।

तम्बाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिये बनाई गई विभिन्न गतिविधियों की योजना इस प्रकार है :

1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
2. आईइसी गतिविधियाँ।
3. तम्बाकू नियंत्रण कानून और रिपोर्टिंग का निरीक्षण करना।
4. सर्वेक्षण और जाँच।
5. स्कूल कार्यक्रम
6. तम्बाकू परित्याग केन्द्र बनाना।
7. पंचायति राज संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना।

जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति

- **भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 को जिले में प्रभावी रुप से लागू करने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन अत्यंत आवश्यक है। इस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार होने चाहिए।**

जिला दण्डाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य सचिव
जिला पुलिस अधिक्षक	सदस्य
जिला जनसंपर्क अधिकारी	सदस्य
जिला खाद्य एवं औषधी निरीक्षक	सदस्य
स्वास्थ्य/तम्बाकू के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि	सदस्य
जिले के मुख्य महाविद्यालय के प्राचार्य	सदस्य
अकादमीशियन/मनोवैज्ञानिक/समाज शास्त्री (जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रत्येक में से एक नामित)	सदस्य

- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मूलतः स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आता है, अतः स्वास्थ्य विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करना जरुरी है।
- त्रैमासिक अंतराल पर जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठके आयोजित की जाना अत्यंत जरुरी है ।
- बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की समीक्षा हो।
- तम्बाकू नियंत्रण समिती के अध्यक्ष कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी होते है । अतः जरुरी है कि कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में होने वाली टी. एल. बैठक के दौरान भी तम्बाकू नियंत्रण की समीक्षा हो और इसके लिये विभिन्न विभागों की भूमिका सुनिश्चित की जाए ।
- जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण के लिए एडीएम स्तर के अधिकारी प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी नामित हो।
- समिति में समय– समय पर जिलाधीश द्वारा अन्य सदस्यों को भी जोडा जा सकता है।

स्त्रोत : मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
आदेश क्रमांक : एफ 10–53/2005/सत्रह/मेडि–2 एवं एफ–19–21/2009/1/4

भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003

Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution)Act, 2003 (COTPA)

उद्देश्य :

- प्रतिभागियों को तम्बाकू नियंत्रण कानून की जानकारी देना।
- प्रतिभागियों को भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून की विभिन्न धाराओं के बारे में बताना।
- कोटपा कानून लागू करने वाली संस्थाओं की जानकारी देना।
- प्रतिभागियों को तम्बाकू नियंत्रण कानून के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारियों के निर्धारित दिशा निर्देशों की जानकारी देना।
- प्रतिभागियों को कानून के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारियों की दण्डात्मक शक्तियों की जानकारी देना।

गतिविधि :

- प्रतिभागियों को पावर पाइन्ट के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण कानून के बारे में बताना।
- प्रतिभागियों को तम्बाकू उत्पादों की चेतावनीयों के बारे में बताना।
- कोटपा कानून लागू करने वाली संस्थाओं के बारे में बताना।
- समूह चर्चा के माध्यम से इसकी अच्छाईयों पर चर्चा करना।
- समूह चर्चा के माध्यम से इसको लागू करने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा करना।
- प्रतिभागियों को प्रवर्तन अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताना।

भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून

तम्बाकू आपदा को नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कानून सन् 2003 में बनाया गया इसक कानून को बनाने का उद्देश्य देश में तम्बाकू के उपभोग में कमी लाना था। इस कानून की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध, नाबालिगों को/के द्वारा तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध एवं तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक चेतावनीयाँ अनिवार्य की गई है। प्रदेश में भी तम्बाकू आपदा को नियंत्रित करने के लिये इस कानून की विभिन्न धाराओं का प्रवर्तन अत्यंत आवश्यक है। इस खण्ड में इन धाराओं के बारे में वृहद रुप से जानकारी दी गई है। ताकि प्रवर्तन अधिकारी इस कानून का परिपालन अच्छी तरह से कर सकें।

धारा 4

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध

- भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2 अक्टूबर 2008 से देश के सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसे 200/रुपये तक का अर्थ दण्ड किया जा सकता है।

निम्नलिखित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

शासकीय कार्यालय	निजी कार्यालय
मनोरंजन केन्द्र	अस्पताल
पुस्तकालय	शॉपिंग माल
स्टेडियम	होटल
न्यायालय परिसर	कॉफी हाउस
रेल्वे स्टेशन	रेस्टोरेंट
सिनेमाहाल	प्रतिक्षालय
सभागृह	बस स्टॉप
एअरपोर्ट	लोक परिवहन
शिक्षण संस्थान	अन्य सार्वजनिक स्थान

- इस धारा के अनुसार सार्वजनिक स्थल का मालिक, प्रोप्राराइटर, प्रबंधक पर्यवेक्षक या प्रभारी अधिकारी इस धारा के प्रावधान के उल्लंघन की दशा में 200/-रुपये तक का अर्थदण्ड कर सकता है।
- यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रोप्राइटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या प्रभारी अधिकारी कानून के इस प्रावधान के उल्लंघन की सूचना पर कार्यवाही करने में असफल रहता है तो मालिक, प्रोप्राइटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या प्रभारी अधिकारी पर भी कानून के तहत जुर्माना किया जा सकता है।
- इस धारा के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 60× 30 से.मी. का बोर्ड लगाना अनिवार्य है जिस पर लिखा हो **गैर धूम्रपान क्षेत्र – यहाँ धूम्रपान करना अपराध है।**

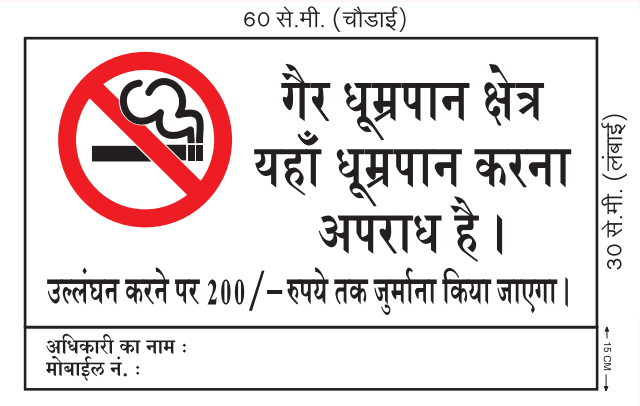

धारा 4 के अन्तर्गत धूम्रपान हेतु निर्धारित क्षेत्र के बारे में कुछ जरुरी बातें

- धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। हालांकि **तीस या इससे अधिक बैठक व्यवस्था वाले रेस्त्रां, हॉटल** के भवन के स्वामी, प्रबंधक, संचालक, प्रभारी, पर्यवेक्षक और हवाई अड्डों पर निम्न निर्देशों के अनुसार धूम्रपान हेतु निर्धारित पृथक क्षेत्र/जगह रख सकते हैं। इसके लिये निम्नलिखित शर्तेअनिवार्य हैं –

  - चारों तरफ पर्याप्त ऊचाँई वाली दीवारों से युक्त भौतिक रुप सेअलग किए गए परिक्षेत्र।
  - सामान्यतः बंद रखा जाने वाला स्वचलित प्रवेश द्वार।
  - वायु प्रवाही तंत्र जहाँ दूषित वायु सीधे बाहर निकल सके और भवन के भीतरी क्षेत्र की वायु आपूर्ति से न मिले।
  - ऐसी वायु निकासी व्यवस्था, जो पुर्नप्रवाही न हो एवं वायु परिशोध व्यवस्था, जो गैर धूम्रपान क्षेत्र में धुंए को न जाने दे।
  - भवन के अन्य क्षेत्रों की तुलना में नकारात्मक वायु दाब रहता हो।
  - धूम्रपान हेतु निर्धारित क्षेत्र होटल, रेस्त्रा, हवाई अड्डे के प्रवेशद्वार के समीप नही होना चाहिए और उसेअंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषा में **धूम्रपान हेतु निर्धारित क्षेत्र** की सूचना वाले सूचनापटल द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
  - प्रत्येक कक्ष सम्बन्धित आधारतल, मंजिल या क्षेत्र से पूरी तरह अलग किया गया हो।
  - धूम्रपान हेतु निर्धारित क्षेत्र का उपयोग अन्य सुविधाओं के लिये नहीं किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक स्थानों पर धारा 4 का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिये जरुरी बातें

1) परिसर में प्रमुख स्थानों पर जहाँ आसानी से स्टॉफ एवं आगंतुक दोनों पढ़ सकें वहाँ निर्धारित प्रारुप का बोर्ड लगा हो।

निर्दिष्ट सूचनापटल को निम्न स्थलों पर लगाया जा सकता है।

- भवन के प्रवेशद्वार एवं किसी भी अन्य संदिग्ध स्थल पर।
- एक से अधिक होने पर सभी प्रवेशद्वारों पर।
- एक से अधिक मंजिल होने की स्थिति में सभी मंजिलों, सीढ़ियों, प्रत्येक मंजिल एवं लिफ्ट के प्रवेशद्वार पर।

2) तम्बाकू नियंत्रण कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन की सूचना देने के लिये संस्थान में शिकायत अधिकारी का नाम उल्लेखित किया जाए।

3) अपने कार्यालय में निर्धारित प्रारुप की रसीद बुक रखें ताकि जुर्माना किया जा सके।

4) यदि कोई धूम्रपान करते हुए पाया जाए तो उसे 200 रु. तक का अर्थदण्ड करें।

5) सभी कर्मचारियों को आदेश जारी कर सूचित करें कि कार्यालय में धूम्रपान ना करें।

6) परिसर में धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली कोई भी सामग्री ना रखें जैसे ऐश ट्रे, लाईटर इत्यादि।

- यदि सार्वजनिक स्थल के स्वामी, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या प्रभारी द्वारा धूम्रपान निषेध कानून के उल्लंघन को रोका नहीं जाए, तो ऐसी प्रत्येक घटना के समतुल्य उस पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

कार्यालय परिसर में कोई धूम्रपान ना करे समय समय पर निगरानी द्वारा यह सुनिश्चित करें।

प्राधिकृत अधिकारी – धारा 4

क्र.	कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति	सार्वजनिक स्थान का विवरण
1.	केन्द्रीय उत्पाद कर / आयकर / सीमा शुल्क / बिक्री कर / स्वास्थ्य / परिवहन के निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के अधिकारी	उनके अधिकार क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थान
2.	स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर / स्टेशन हेड / स्टेशन प्रभारी	रेल एवं इसके समस्त परिसर
3.	राज्य / केन्द्र सरकार के सभी राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वायत संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समकक्ष रैंक और उनसे ऊपर के अधिकारी	सरकारी कार्यालय / परिसर तथा स्वायत निकायों एवं निगमों के कार्यालय
4.	निदेशक / चिकित्सा अधीक्षक / अस्पताल प्रशासक	सरकारी तथा निजी अस्पताल
5.	पोस्ट मास्टर तथा ऊपर के अधिकारी	उनके अधिकार क्षेत्र के संबद्ध डाकघर
6.	संस्था का प्रमुख / एच. आर. प्रबंधक / प्रशासन प्रमुख	निजी कार्यालय / कार्य स्थल
7.	कालेज, स्कूल / हेड मास्टर / प्राचार्य / शिक्षक	संबंधित शैक्षणिक संस्थान
8.	लाइब्रेरियन / सहायक लाइब्रेरी प्रभारी / लाइब्रेरी के अन्य प्रशासनिक स्टॉफ	लाईब्रेरी / पठन कक्ष
9.	हवाईपत्तन प्रबंधक / भारतीय वायुपतन प्राधिकरण के अधिकारी तथा सभी अनुसूचित एयरलाइंस के अधिकारी	हवाई पत्तन
10.	निदेशक जन स्वास्थ्य / निदेशक स्वास्थ्य सेवा	सभी सार्वजनिक स्थान
11.	केन्द्रीय / राज्य सरकार में प्रशासन प्रभारी	सभी सार्वजनिक स्थान
12.	नोडल अधिकारी / जिला तथा राज्य स्तर पर तम्बाकू रोधी प्रकोष्ठ के फोकस प्वाइंट	सभी सार्वजनिक स्थान
13.	पुलिस उपनिरिक्षक से अन्यून पद के पुलिस अधीक्षक	उनके कार्य के अंदर के सभी सार्वजनिक स्थान
14.	पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के राज्य खाद्य और औषध प्रबंधन अधिकारी	उनके कार्य के अंदर सभी सार्वजनिक स्थान
15.	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधी (सरपंच / पंचायत सचिव)	उनके कार्य क्षेत्र के अंदर के सभी सार्वजनिक स्थान
16.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक / वित्त प्रबंधक–जिला स्वास्थ्य सोसायटी (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वाथ्य मिशन)	उनके कार्य क्षेत्र के अंदर के सभी सार्वजनिक स्थान
17.	जिला अस्पताल के सिविल सर्जन / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी	अस्पताल भवन / स्वास्थ्य संस्थान / औषधालय
18.	रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार / लोक अधियोजक / सरकारी वकील	अदालती इमारते
19.	विद्यालय निरीक्षक / जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षण संस्थान
20.	यातायात अधीक्षक / सहायक यातायात अधीक्षक बस विराम स्थल अधिकारी / टिकट संग्राहक या संचालक	सार्वजनिक वाहन
21.	यात्रा टिकट परीक्षक / मुख्य टिकट सेल निरीक्षक / टिकट संग्राहक / टिकट संग्राहक से अन्यून पद के अधिकारी या रेल सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक से अन्यून पद के समान अधिकारी	

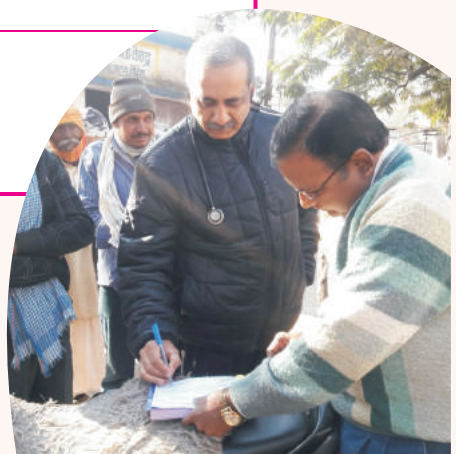

धारा 5

तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रोत्साहन पर प्रतिबंध

- तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विज्ञापनों पर प्रतिबंध है। इसके अन्तर्गत किसी भी तरह का प्रायोजन एवं प्रोत्साहन भी प्रतिबंधित है।
- सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पादन कम्पनियों के द्वारा किसी भी खेल या सांस्कृतिक समारोह का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबन्धित है।
- कोई व्यक्ति या अभिनेता सिनेमा और टीवी कार्यक्रम में तम्बाकू उत्पादों या उनके प्रयोग को प्रदर्शित नहीं करेगा। सिनेमा और टीवी कार्यक्रम जो कि इस अधिनियम के पहले के है, और जिसमें धूम्रपान करते हुए दृश्यों और परिस्थितियों का औचित्य है, उन्हें प्रदर्शित करते समय यह अनिवार्य है कि इनके साथ दृश्य के नीचे पटल पर सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरों से स्वास्थ्य चेतावनी/संदेश इस प्रमुखता के साथ इस तरह लिखे हों कि वे आसानी से पढ़े जा सकें। इसमें लिखा होना चाहिए **"धूम्रपान करने से कैंसर होता है"** या **"धूम्रपान जानलेवा है"**।

धारा–5 के उल्लंघन

- किसी भी प्रायोजन उपहार, पुरस्कार या छात्रवृत्ति के एवज में सिगरेट या किसी भी तम्बाकू उत्पाद का कोई भी व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) और ब्राण्ड नाम को प्रायोजित नही किया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति संविदा अथवा किसी भी अन्य प्रकार से तम्बाकू उत्पाद को बढ़ावा नहीं देगा अथवा उसे प्रोत्साहन या बढ़ावा देने के लिए सहमति प्रदान नहीं करेगा।
- कोई सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के लिए गोदाम अथवा दुकानों के प्रवेश द्वार अथवा इसके भीतर बोर्ड का आकार 60X45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा और दो से ज्यादा ऐसे बोर्ड नहीं लगेंगे। इस तरह के बोर्ड के ऊपरी किनारे पर प्रमुखता के साथ एक चेतावनी होनी चाहिए। चेतावनी का आकार 20X15 सेंटीमीटर और सफेद पृष्ठभूमि काले अक्षरों से लिखा होना चाहिए। ऐसा हर बोर्ड वहाँ प्रचलित भारतीय भाषा में होना चाहिए।

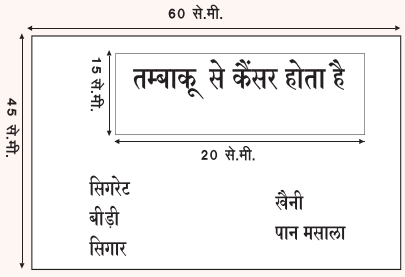

प्राधिकृत अधिकारी धारा 5

धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन, उनके द्वारा प्रायोजन (स्पान्सरशिप) एवं प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है।

धारा 5 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवेश करने, खोज करने और जब्त करने की शक्तियॉ है।

क्र.	पदनाम		विभाग
1.	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अधीक्षक व इसके उपर के स्तर के सभी अधिकारी	1	राजस्व विभाग
2.	बिक्री कर/स्वास्थ्य/परिवहन विभागों के निरीक्षकों अथवा इससे उपर के रैंक के सभी अधिकारी	2	राज्य का राजस्व/ स्वास्थ्य/परिवहन विभाग
3.	कनिष्ठ श्रम आयुक्त एवं इससे उपर	3	श्रम विभाग
4.	संयुक्त निदेशक	4	उद्योग/लघु उद्योग आयुक्त का कार्यालय
5.	पुलिस/राज्य एवं औषध प्रशासन का उपनिरीक्षक और इसके उपर का एवं पुलिस उपनिरीक्षक के रैंक के समतुल्य कोई अन्य अधिकारी	5	जाँच एवं औषध विभाग एवं गृह कार्य विभाग

धारा 5 के उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड

यदि कोई धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो धारा–22 के तहत

- प्रथम बार उल्लंघन के मामले में दो वर्ष तक कारावास एवं 1000 रूपये तक जुर्माना या दोनों।
- दूसरी बार उल्लंघन पर 5 वर्ष कारावास एवं पाँच हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
- धारा 23 के तहत यदि कोई धारा 5 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो विज्ञापन या विज्ञापन सामग्री को सरकार द्वारा समपहरण किया जा सकेगा।

स्त्रोत :

* सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003
* स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना 20 अक्टूबर 2006

धारा–6

नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित

(6अ) ✻ **18 वर्ष से कम** आयु के बच्चे को व उनके द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना अपराध है।
✻ तम्बाकू पदार्थो की वेंडिंग मशीनों द्वारा बिक्री प्रतिबंधित है।
✻ किसी भी सामान बेचने वाली दुकान पर तम्बाकू पदार्थो का प्रदर्शन प्रतिबंधित है।

(6ब) ✻ किसी भी शैक्षणिक संस्था के **100 गज (300 फीट)** के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है।
✻ 100 गज की दूरी को शैक्षणिक संस्था की चार दीवारी बाड़ अथवा जैसा की मामला हो, की बाहरी सीमा से त्रिज्या के आधार पर मापा जाएगा।

क्या करने की आवश्यकता है।

✶ दुकानदार को यदि लगे की कोई तम्बाकू उत्पाद खरीदने वाला 18 वर्ष से कम उम्र का है तो वह उससे आयु का प्रमाण मांगे।

✶ धारा 6अ के तहत दुकान के मालिक अथवा प्रबन्धक को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के स्थान पर निम्नलिखित प्रारुप का 30x60 से.मी. का बोर्ड प्रदर्शित करना आवश्यक है।

✶ धारा 6ब के तहत शैक्षणिक संस्था के मालिक अथवा प्रबंधक को मुख्य प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित प्रारुप का बोर्ड लगाना जरुरी है।

नोट: किशोर न्याय अधिनियम 2015 कि धारा 77 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम के अवयस्क को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

प्राधिकृत अधिकारी धारा 6

उल्लंघन करने पर 200/ रूपये तक का जुर्माना। (धारा 24 के अंतर्गत)

जुर्माना कौन कर सकता है –

निम्नलिखित अधिकारी अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (अ) और खण्ड (ब) के उल्लंघन में किए गए अपराधों के लिये कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति–

क्र.	विभाग/कार्यालय	प्राधिकृत अधिकारी
1.	शैक्षणिक संस्थान	शैक्षणिक संस्थान के कुलपति अथवा निदेशक अथवा प्रधानाचार्य अथवा प्रधान अध्यापक अथवा प्रभारी
2	श्रम विभाग	श्रम विभाग से सहायक श्रमायुक्त
3.	खाद्य एवं औषध विभाग	खाद्य एवं औषध विभाग के राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन में उपनिरीक्षक रेंक के सभी अधिकारी
4.	शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग से निरीक्षक के रेंक के सभी अधिकारी
5.	पुलिस	पुलिस उपनिरीक्षक अथवा उपर के रेंक के सभी पुलिस अधिकारी
6.	निगम	निगम स्वास्थ्य अधिकारी
7.	पंचायती राज संस्थान	पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि (अध्यक्ष अथवा सरपंच अथवा पंचायत सचिव)
8.	जिला स्वास्थ्य सोसायटी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक अथवा वित्त प्रबंधक–जिला स्वास्थ्य सोसायटी (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)
9.	स्वास्थ्य विभाग	जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) के चिकित्सा अधिकारी
10.	विकास खण्ड	खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड विस्तार शिक्षक (बी.ई.ई.)
11.	स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग	राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक
12.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जिला नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी

ध्यान रखे की :-

- तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नाबालिगों को ना की जाए।
- शैक्षणिक संस्थानों के पास तम्बाकू उत्पादों की दुकान ना हो।
- बच्चों को तम्बाकू उत्पाद के मुफ्त नमुने नहीं बाटे जाएं।
- तम्बाकू उत्पादों को नाबालिगों द्वारा बसो एवं रेल में, ट्रेफिक सिगनल पर, फिल्म थियेटरो के बाहर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टाप आदि या अन्य ऐसे स्थानों पर न बेचा जाए।
- तम्बाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित न किया जाए जिससे अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद सहजता से उपलब्ध हो।

धूम्रपान मुक्त / तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान कैसे बने

- शैक्षणिक संस्थान परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार का चबाने वाला/धूम्रपान वाला तम्बाकू का प्रयोग किसी भी स्टाफ, टीचर या छात्रों द्वारा नही किया जाए। इसके लिये प्राचार्य द्वारा स्टॉफ को उचित निर्देश दिये जाए।
- शैक्षणिक संस्था की चार दिवारी अथवा परिसरों के बाहर मुख्य स्थान पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड लगा हो जिस पर लिखा हो कि इस शैक्षणिक संस्थान के 100 गज (300 फिट) के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध हैं।
- शैक्षणिक संस्थाओं में यलो लाईन कैम्पेन चलाकर संस्थान के 100 गज के दायरे में पीली रेखा बनाकर और तम्बाकू मूक्त शैक्षणिक संस्थान लिखकर संस्थान को तम्बाकू मुक्त किया जाये।

- संस्थान में एक तम्बाकू नियंत्रण समिति गठित हो। समिति का अध्यक्ष संस्था प्रमुख/प्रिंसीपल हो साथ ही समिति के सदस्य के रुप में शिक्षक, विद्यार्थी, NSS/NCC/SCOUT के प्रतिनिधि, पालक प्रतिनिधि अथवा जन प्रतिनिधि, हो सकते है। स्कूल/संस्थान में तम्बाकू नियंत्रण की गतिविधियों की निगरानी समिति द्वारा की जाये। समिति की त्रैमासिक बैठक हो, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रेषित की जाए।
- तम्बाकू नियंत्रण कानून की प्रति संस्थान के प्रिंसीपल या प्रमुख के पास उपलब्ध हो।
- धूम्रपान निषेध संबंधि सूचना पटल लगा हो।
- तम्बाकू के दुष्प्र भावों से अवगत कराते हुए पोस्टर संस्थान में लगाये जाएं।
- निगरानी दल द्वारा समय–समय पर निगरानी की जाये।
- स्कूल के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में तम्बाकू नियंत्रण कानून भी शामिल किया जाए।
- सराहनीय प्रयास करने वाले छात्रों एवं शिक्षको को पुरस्कार दिया जाए।

धारा–4 एवं 6 के लिए दिशा निर्देश

वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के आदेश क्रमांक/एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./ 2019/ 2682, भोपाल, दिनांक 27–02–2019 के अनुसार जुर्माने से प्राप्त राशि को जिले में संधारित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन **नॉन एन.एच.एम. खाते** में जमा किया जाना है एवं केश बुक संधारित करते हुए रिपोर्ट राज्य कार्यालय को प्रतिमाह की 5 तारीख तक भेजा जाना है।

धारा–4 एवं 6 के लिए रसीद का प्रारुप

मध्यप्रदेश शासन

"लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग"

(जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, जिला.....म.प्र.)

रसीद

प्रारुप

रसीद बुक क्र.....

रसीद क्र. ..... दिनांक : .....

प्राप्त रु. .....(शब्दो में) .....

श्री .....

पिता का नाम .....

पता .....

द्वारा दण्ड रूप प्राप्त किये। इन्हें सिगरेट एव अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 4/6(अ)/6(ब) का स्थान .....पर उल्लंघन करते हुए पाया गया।

उल्लंघन कर्ता के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

धारा 7
तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनिया अनिवार्य

- तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।
- सभी तम्बाकू पदार्थो के 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर स्वास्थ्य चेतावनियां होनी चाहिए। (60 प्रतिशत पर चित्र और 25 प्रतिशत पर लिखी हुई)
- यह चेतावनी हर 12 महीने में बदली जाएगी।
- तम्बाकू उत्पादों के लिए भ्रामक भाषा जैसे हल्का, मध्यम अति हल्का अथवा वर्णात्मक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध है।

1 सितम्बर 2018 से प्रभावी

1 सितम्बर 2019 से प्रभावी

धारा 7 के उल्लंघन पर जुर्माना (धारा 20 के तहत)

उत्पादक

- प्रथम बार उल्लंघन करने पर 2 वर्ष कारावास अथवा पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों।
- दूसरी बार उल्लंघन करने पर पाँच वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार जुर्माना।

विक्रय विपणन करने पर

- प्रथम बार एक वर्ष कारावास अथवा 1000 / रुपये जुर्माना अथवा दोनों।
- दूसरी बार उल्लंघन पर 2 वर्ष कारावास एवं तीन हजार रुपये तक जुर्माना।

धारा 7 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवेश करने, खोज करने और जब्त करने की शक्तियाँ है।

क्र.	पदनाम		विभाग
1.	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अधीक्षक व इसके उपर के स्तर के सभी अधिकारी	1	राजस्व विभाग
2.	बिक्री कर/स्वास्थ्य/परिवहन विभागों के निरीक्षकों अथवा इससे उपर के रैंक के सभी अधिकारी	2	राज्य का राजस्व/ स्वास्थ्य/परिवहन विभाग
3.	कनिष्ठ श्रम आयुक्त एवं इससे उपर	3	श्रम विभाग
4.	संयुक्त निदेशक	4	उद्योग/लघु उद्योग आयुक्त का कार्यालय
5.	पुलिस/राज्य एवं औषध प्रशासन का उपनिरीक्षक और इसके उपर का एवं पुलिस उपनिरीक्षक के रैंक के समतुल्य कोई अन्य अधिकारी	5	जाँच एवं औषध विभाग एवं गृह कार्य विभाग

स्त्रोत :
- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना 30 जुलाई 2009 एवं 3 अप्रैल 2018

धारा 5 एवं 7 के प्रवर्तन की प्रक्रिया

1. अधिकारी धारा 5 एवं 7 के उल्लंघन की सूचना मिलने पर या स्वयं छापेमार टीम बनाकर आगे की कार्यवाही करेंगे।
2. छापा मारने वाली टीम में अधिकारी के साथ दो स्वतंत्र गवाहों और एक पुलिस अधिकारी (सब इन्सपेक्टर व अन्युन पद) के अधिकारी होंगे।
3. उल्लंघन का संदेह होने पर छापा मारने वाली टीम के अधिकारी परिसर में प्रवेश करेंगेऔर खोज करेंगे।
4. जहाँ अधिकारी को लगे की उल्लंघन हुआ है तोअधिकारी विज्ञापन सामग्री, तम्बाकू के पैकेट आदि को जब्त करेंगे।
5. अधिकारी को परिसर के मालिक को जब्ती ज्ञापन, रसीद देना आवश्यक होगा।
6. एक पंचनामा दो गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा जो अपने बयानो में जब्त किए गए सामान और सामान की जगह बताएंगे।
7. जब्त की गई विज्ञापन सामग्री/पैकेज/ सामान को सीलबंद स्थिति में रखा जाएगा, जहां सील को दो गवाहों और परिसर के मालिक/रहनेवाले/प्रभारी की उपस्थिति में चिपका दिया जाएगा।
8. जब्त की गई सामग्री/पैकेज को जब्ती के दिनांक से 90 दिवस से ज्यादा नहीं रखा जाएगा जब तक की जिला न्यायाधीश या नामित जज की मंजुरी ना हो।
9. अधिकारी इसके बाद जिस क्षैत्र में जब्ती की गई थी उस क्षैत्र के जिला जज के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

अधिहरण (जब्ति) के बजाए कॉस्ट(मूल्य) भुगतान करने का विकल्प देने की शक्ति–

अ. जब किसी सिगरेट अथवा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के किसी पैकेज का अधिहरण को इस अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत किया गया है, तो न्याय निर्णीत करने वाला न्यायालय ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो कि अधिहरण को न्याय निर्णीत वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएँ, अधिहरण के बजाए कॉस्ट को भुगतान करने का एक विकल्प स्वामी को दे सकेगा जो कि अधिहरण किए जाने वाले माल के मूल्य के बराबर होगी।

ब. न्यायालय द्वारा आदेशित कॉस्ट का भुगतान करने पर, जब्त पैकेज को उस व्यक्ति को जिससे उन्हें जब्त किया गया था इस शर्त पर कि ऐसा व्यक्ति सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पाद के ऐसे पैकेज का वितरण विक्रय अथवा प्रदाय करने के पूर्व ऐसे प्रत्येक पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी एवं निकोटिन एवं जार की अंतर्वस्तु का प्रदेर्शन समाविष्ट करेगा वापिस लौटाया जाएगा।

जब्त पैकेज के स्वामी को सुनवाई का अवसर देना –

अ. अधिहरण न्यायनिर्णीत करने वाला अथवा कॉस्ट को भुगतान करने को निर्देशित करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्वामी अथवा एसे व्यक्ति को जो सिगरेट अथवा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के पैकेज के आधिपत्य में हो उसे लिखित में उन आधारों को सूचित करते हुए जो कि ऐसे पैकेज के अधिहरण के लिए प्रस्तावित हैं सूचना न दे दी गई एवं उसे ऐसे पैकेज के अधिहरण के लिए प्रस्तावित है सूचना न दे दी गई हो एवं उसे ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जोकि सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए इसमें वर्णित अधिहरण के विरुद्ध लिखित में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर ने दे दिया गया हो एवं यदि वह ऐसी वांछा करे तो व्यक्तिशः अथवा प्रतिनिधि के द्वारा मामले में सुनवाई अथवा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा :

परंतु यह कि जहां सिगरेट अथवा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के पैकेज की जब्ती की दिनांक से 90 दिवसों की अवधि के भीतर ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है तो ऐसे पैकेज को उस अवधि के अवसान के उपरांत स्वामी अथवा उस व्यक्ति को जिसके आधिपत्य से इसको जब्त किया गया था वापिस लौटा दिया जाएगा।

11. अधिकारी उस क्षैत्र के पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करेंगे। अधिकारी उक्त शिकायत में शिकायतकर्ता होगा। पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाली आपराधिक शिकायत पर, पुलिस अधिकारी तब आपराधिक प्रक्रिया सहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही करेंगे।

12. अधिकारी तब मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष कोटपा की धारा 20 या 22 (धारा 5 एवं 7 के लिये अर्थदण्ड के प्रावधान) के तहत शिकायत दर्ज करायेंगे।

13. धारा 5 और 7 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को हर उल्लंघन के खिलाफ रिकार्ड करनेऔर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्यों कि दूसरी बार या बार–बार अपराध करने पर कोटपा में दण्ड को बढ़ाया गया।

नोट : धारा 5 और 7 के अन्तर्गत किए गए अपराध गैर शमनीय है।

सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003

धारा–1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –
धारा–2 : संघ के द्वारा नियंत्रण की समीचीनता बाबत् घोषणा।
धारा–3 : परिभाषायें।
धारा–4 : सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध।
धारा–5 : सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिषेध।
धारा–6 : सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद का 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति एवं विशिष्ट क्षेत्र में विक्रय किये जाने पर प्रतिषेध।
धारा–7 : सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद में व्यापार एवं वाणिज्य और इसके उत्पाद, आपूर्ती एवं वितरण पर निषेध। (चित्रात्मक चेतावनी संबंधी)
धारा–8 : रीति जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी की जायेगी।
धारा–9 : भाषा जिसमें कि विनिर्दिष्ट चेतावनी को व्यक्त किया जायेगा।
धारा–10 : अक्षरों और अंकों का आकार।
धारा–11 : निकोटीन व टार की अन्तर्वस्तु के लिए परीक्षित प्रयोगशाला।
धारा–12 : प्रवेश एवं तलाशी की शक्ति।
धारा–13 : जब्ती की शक्ति
धारा–14 : पैकेज का अधिहरण।
धारा–15 : अधिहरण के बजाय भूगतान करने का विकल्प देने की शक्ति।
धारा–16 : अन्य दंडों में अधिहरण से हस्तक्षेप नही।
धारा–17 : न्यायनिर्णयन।
धारा–18 : जब्त पैकेज के स्वामी को सुनवाई का अवसर देना।
धारा–19 : अपील।
धारा–20 : विनिर्दिष्ट चेतावनी एवं निकोटीन व टार की अर्न्तवस्तु को दिये जाने में विफलता पर दण्ड।
धारा–21 : कतिपय स्थलों पर धूम्रपान करने के लिए दण्ड :
धारा–22 : सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिये दंड
धारा–23 : विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री का समपहरण।
धारा–24 : सिगरेट अथवा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद को कतिपय स्थलों पर अथवा 18 वर्ष से कम आयु से कम के व्यक्तियों को विक्रय करने के लिए दंड।
धारा–25 : धारा 4 व 6 के अधीन अपराध निवारण, रोक एवं विचारण का स्थल।
धारा–26 : कंपनियों के द्वारा अपराध।
धारा–27 : अपराध जमानती होना।
धारा–28 : अपराधों का शमन
धारा–29 : सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण।
धारा–30 : अनुसूची में किसी तम्बाकू उत्पाद को जोड़ने की शक्ति।
धारा–31 : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने वाली शक्ति।
धारा–32 : सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पाद जो कि निर्यात किये जाते है, को अधिनियम प्रयोज्य होना।
धारा–33 : निरसन और व्यावृत्ति।

तम्बाकू नियंत्रण के लिये अन्य कानून

(1) किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (धारा 77) :

किशोर न्याय अधिनियम 2015 कि धारा 77 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम के अवयस्क को तम्बाकू उत्पाद देने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा 107(1) के तहत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नामित किया गया है ।

(2) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 :

जहरीला धुआँ हमारे पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है जिससे लोगों के अलावा बाहरी लोगों को भी इसका भार झैलना पड़ता है, अधिनियम में उल्लेखित है कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

(3) खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 , खाद्य संरक्षण अधिनियम 2011–2.3.4 :

इस कानून के बिन्दु 2. 3. 4 में कहा है कि खाद्य उत्पादों में कोई भी ऐसा पदार्थ नही होना चाहिए जो स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक हो :– तम्बाकू और निकोटिन भी किसी खाद्य पदार्थ का हिस्सा नही बनाना चाहिए।

किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रुप में तम्बाकू या निकोटिन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चन्यायालय के आदेश क्रमांक 1/10 दिनांक 23–9–16 के अनुसार पान मसाला एवं तम्बाकू के अलग–अलग पैकेटो को एक साथ स्टेपल कर या Joint pack में अथवा पान मसाला एवं तम्बाकू के एक साथ संयुक्त कर नहीं बेचा जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 41 एवं 42 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 272 एवं 273 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन के उपनिरिक्षक और इनके उपर के अधिकारी जुर्माना कर सकते है।

(4) ड्रग एड कास्मेटिक एक्ट 1940 :

इस कानून के अन्तर्गत 1992 में सभी डेन्टल उत्पादों में तम्बाकू का उपयोग प्रतिबन्धित किया गया है।

(5) केबल टेलिविजन नेटवर्क एक्ट 2000 :

इसके अन्तर्गत केबल टेलिविजन, राज्य के इलेक्ट्रानिक मीडिया में तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित है।

(6) धारा 144 :

सी.आर.पी.सी. की धारा 144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिये लगाई जाती है। इस धारा का उपयोग जिले में संचालित हुक्का केन्द्रों को बन्द करने के लिए कई जगह किया गया है।

(7) भारतीय संविधान की धारा 21

संविधान की धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति को दमित नहीं कर सकता लिहाजा एक नागरीकों को धूम्रपान करने वालों द्वारा उत्सर्जित तंबाकू के धूंए सहित समस्त घातक वस्तुओं के संपर्क से बचाना शासन का दायित्व है।

(8) धारा 133 :

सी.आर.पी.सी. की धारा 133 किसी भी व्यापार व्यवसाय का संचालन यदि समुदाय के लिये हानिकारक है तो उसे विनियमित किया जा सकता है या हटाया जा सकता है।

धारा 4, 5, 6 एवं 7 के क्रियान्वयन में प्रवर्तन अधिकारियों की भूमिका

धारा 4 के क्रियान्वयन में (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध)

1. आम जनता की सार्वजनिक स्थानो पर निष्क्रिय धूम्रपान से सुरक्षा करना।
2. यह देखना की अधिनियम में दिये गए नियमों के अनुसार बोर्ड प्रदर्शित हो तथा साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी प्रदर्शित हो जिससे नियमों का उल्लंघन होने पर शिकायत की जा सके।
3. विशिष्ट दस्तो का निर्माण होना चाहिए जो सभी विकासखण्ड और जिलों में देखे की तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन हो रहा है।
4. यह सुनिश्चित करना की सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति धूम्रपान ना करे और यदि करते हुए पाया जाए तो उसे 200/– रुपये तक का अर्थदण्ड करे।

धारा 5 के क्रियान्वयन में (तम्बाकू विज्ञापनों का निषेध)

1. ऐसी जगह जहां पर तम्बाकू के विज्ञापन की सामग्री मिले उसे जब्त करें और सरकार के पास जमा कराए।
2. तम्बाकू विज्ञापनों के बारे में जिले के कलेक्ट्रेट में गठित तम्बाकू नियंत्रण समिति या नोडल अधिकारी को शिकायत करे।
3. जहां पर तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन होने की संभावना हो उन जगहों पर नियमित रूप से निरीक्षण करे।
4. तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर देखें की वहां पर विज्ञापन के बोर्ड पीछे से प्रकाशमय ना हो, ना ही उन पर तम्बाकू उत्पादों के चित्र हो।

धारा 6 के क्रियान्वयन में (नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री निषेध)

1. अधिकारी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता की जाँच करें की वह बच्चों को (18 वर्ष से कम) को तम्बाकू उत्पाद तो नहीं बेच रहा।
2. कानून द्वारा निर्धारित बोर्ड दुकान पर लगे हों।
3. यदि नाबालिग व्यक्ति तम्बाकू उत्पाद बेच रहा हो तो उसे रोकें।
4. अधिकारी देखे की तम्बाकू उत्पादों का विक्रय वेंडिंग मशीन से नहीं किया जा रहा हो।
5. तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन को रोकें।
6. देखे की शैक्षणिक संस्थान या उसके परिसर के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद ना बेचे जाएं।
7. कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 200 रु. तक का अर्थदण्ड करें।

धारा 7 के क्रियान्वयन में (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के बिना न हो)

1. अधिकारी ऐसे किसी भी परिसर में जाकर जांच कर सकते है जहाँ उन्हें शक हो की तम्बाकू उत्पाद चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के बिना बेचे जा रहे हो और वे ऐसी सामग्री को जब्त कर सकते हैं।

तम्बाकू आपदा नियंत्रण कैसे हो ?

प्रक्रिया :

भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी रुप से लागू करके पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगम, शहर और जिलों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जा सकता है।

जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून के क्रियान्वयन का अध्ययन करना।

↓

जिले एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों का दिशादर्शन एवं स्कूल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत व राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

↓

जिला, विकासखण्ड, पंचायत में तम्बाकू नियंत्रण हेतु अधिकारी को नामित करना।

↓

- जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर निगरानी टीम का गठन करना।
- मीडिया और अन्य माध्यमों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन के बारे में जनता को बतलाना।
- तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का उल्लंघन करने वालों को अर्थदण्ड करना।

↓

लोगों में तम्बाकू आपदा नियंत्रण के बारे में जागरुकता बढ़ाना।

↓

- पंचायत को तम्बाकू मुक्त घोषित करना →
- जिले को तम्बाकू मुक्त घोषित करना ←
- विकास खण्ड को तम्बाकू मुक्त घोषित करना

↓

संभाग को तम्बाकू मुक्त घोषित करना

↓

प्रदेश को तम्बाकू मुक्त घोषित करना

अभ्यास – पत्र

सही उत्तर चुनें

1. तम्बाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन की सूचना किसे दी जानी चाहिए ?

   1. संस्थान प्रमुख को 2. पुलिस को 3. कोर्ट को

2. कानून के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में नहीं आता है ?

   1. होटल 2. चौराहा 3. कार्यालय

3. तम्बाकू उत्पाद खरीदने वाले की आयु प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व किसका है ?

   1. तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार का।
   2. तम्बाकू उत्पाद खरीदने वाले का।
   3. तम्बाकू उत्पाद बनाने वाले का।

4. तम्बाकू उत्पादों पर कहाँ चेतावनी दर्शानी चाहिए ?

   1. उत्पाद के कम से कम 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर।
   2. पीछे वाले हिस्से के कम से कम 50 प्रतिशत पर।
   3. कहीं भी।

खण्ड–3 तम्बाकू के बारे में पूछे जाने वाले आम सवाल

उद्देश्य :

- तम्बाकू सेवन के संबंध में पूछे जाने वाले सवालों को बताना।
- तम्बाकू छोड़ने के लिये पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बताना।
- तम्बाकू नियंत्रण कानून के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बताना।

गतिविधि :

- प्रतिभागियों से प्रश्न आमंत्रित करना व उनके प्रश्नों के उत्तर देना।
- प्रतिभागियों से प्रश्न पूछना व उनसे जवाब निकलवाना। उनके जवाब सुनना।
- प्रतिभागियों को छोटे समूहों में बांटकर समुदाय में तम्बाकू व उससे संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को सूचिबद्ध करना।

1. सिगरेट में निकोटिन और टार कम होने के कारण क्या वे कम हानिकारक हैं ?

नहीं। इन हानिकारक तत्वों की मात्रा कम होने के एवज में धूम्रपान करने वाले अधिक सिगरेट पीते हैं और गहरे कश लेते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटिन, टार और अन्य जहरीले पदार्थ शरीर में अधिक मात्रा में प्रवाहित होते है।

2. फिल्टर वाली सिगरेट क्या कम हानिकारक होती है ?

नहीं। फिल्टर से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छनता है, इसी प्रकार धुंए में अन्य हानिकारक गैस भी बनी रहती है। फिल्टर वाली सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को भी धमनियों में खून के रूकने के कारण हृदयघात या रक्तघात (स्ट्रोक) के कारण पक्षाघात या लकवा होने की सम्भावनाएं प्रबल होती है।

3. क्या सिगरेट पीने से बीड़ी पीना अधिक सुरक्षित है ?

नहीं। दरअसल बीड़ी और भी ज्यादा हानिकारक है। हालांकि आम तौर पर प्रचलित सिगरेटों के मुकाबले ये छोटी होती है तब भी, शोधकर्ताओं का कहना है कि बीड़ी पीने से कार्बन मोनाऑक्साइड तीन गुना ज्यादा मात्रा में और टार पांच गुना ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। इस प्रकार गले, मुंह, फेफड़े, श्वास नली, पेट और कलेजा (लीवर) के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।

4. सिगरेट की जगह तम्बाकू चबाना क्या ज्यादा सुरक्षित है ?

नहीं। बल्कि ऐसा करने से अन्य खतरे बढ़ जाते हैं। मुंह का कैंसर और दांत खराब होते हैं। धूम्रपान रहित तम्बाकू में न केवल कार्सिनोजीन्स होता है बल्कि इसमें निकोटिन भी होता है, जिससे कि सिगरेट की तरह व्यक्ति इसका भी आदि हो जाता है।

5. सुगंधित पान मसाला और सुपारी खाने से क्या नुकसान है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें तो तम्बाकू बिल्कुल भी नही होती है ?

ये सब दावे एकदम गलत हैं। भारत में इसमें हानिकारक तत्वों की जांच की उचित पद्धति नहीं होने के कारण इस तरह की भ्रांतियां हैं। अगर गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि इन वस्तुओं के पैकेट पर ही यह लिखा होता है कि ''पान मसाले का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।'' पान मसाले का कोई भी ब्राण्ड हो हर एक में हानिकारक तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति इनकी आदत का शिकार भी हो जाता है।

6. क्या यह सही नहीं है कि धूम्रपान करना व्यक्ति की निजी इच्छा का विषय है, दावा तो ऐसा ही किया जाता है ?

नहीं। क्योंकि जहां इच्छा का सवाल होता है वहां व्यक्ति इस स्थिति में होता है कि वह ''हां'' या ''ना'' कह सके। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति इस लत या नशे का शिकार हो जाता है इसलिए वह ''नही'' कहने की स्थिति में नहीं रहता। व्यक्ति जिस समय तम्बाकू की लत में फंसता है आम तौर पर वह किशोर अवस्था या उससे भी पहले की आयु होती हैं । उस समय वह इसके नुकसानों के बारे में ज्यादा नहीं जानता है और वह तम्बाकू के विज्ञापनों और प्रचारकों के जाल में आसानी से फंस जाता है। इस अवस्था में वह उस वयस्क की स्थिति में नहीं होता है जो इस विषय में सोच–समझ कर निर्णय ले सकता है।

7. तम्बाकू के प्रचलन को बढ़ाने की मुख्य तिकडमें क्या हैं ?

पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापन या सार्वजनिक स्थलों पर इश्तहार और कुछ देशों में तो सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने के पहले दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ट्रेलर या स्लाइड आदि माध्यमों से सिगरेट का प्रचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल–कूद प्रतियोगिताओं के प्रायोजन भी तम्बाकू प्रचार की एक तरकीब हैं क्योंकि सिगरेट पीना इस तरह पेश किया जाता है कि यह कोई शान की बात है।

8. सरकार को तम्बाकू उद्योग से खूब राजस्व मिलता है और इस उद्योग से लोगों को काफी रोजगार भी मिल रहा है। तब सरकार तम्बाकू सेवन को क्यों प्रतिबंधित या धीरे-धीरे खत्म करे ?

- पहली बात तो यह है कि यह सरकार का दायित्व है कि आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा करें। तम्बाकू का प्रचलन यदि पहले से नहीं होता और उसे आज एक नए उत्पाद के रूप में पेश किया जाता तो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होने के आधार पर इसे तुरन्त अस्वीकार कर लिया जाता।
- दूसरी बात यह है कि किसी देश के आर्थिक लाभ का आंकलन उसकी हानियों के मुकाबले किया जाता है। अकाल मृत्यु, इलाज पर होने वाले खर्चे, धूम्रपान करने वालों की लापरवाही से अक्सर होने वाली आगजनी आदि दुर्घटनाएं, व्यक्ति की उत्पादन क्षमता में होने वाली क्षति और तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण व्यक्ति का कार्यस्थल से अनुपस्थित रहना– ये सब तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों में शुमार हैं। अमेरिका में इन सबसे होने वाले नुकसान का आंकलन 60 अरब डॉलर किया गया है।

- तीसरा, तम्बाकू की खेती से ज्यादा बेहतर खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उपज के लिए उस भूमि का उपयोग किया जा सकता है। कई देशों में तो तम्बाकू उत्पन्न करने के लिए जंगलों आदि को काटकर साफ किया जाता रहा है। इससे पर्यावरण और ईंधन की समस्या जटिल हो रही है।
- चौथा, विकासशील देशों में विदेशी मुद्रा काफी कठिनाई से अर्जित हो पाती है। इसे तम्बाकू उत्पादों के आयात के लिए खर्च करने की जगह और बेहतर तरीके से नियोजित किया जा सकता है।
- पांचवा, तम्बाकू उत्पादन के लिए किसानों को दी जाने वाली छूट की जगह इस छूट को स्वास्थ्य, आवास या अन्य सार्वजनिक कार्यो के लिए खर्च करना ज्यादा बेहतर होगा।
- स्वास्थ्य एवं आर्थिक कारणों से तम्बाकू उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर देना चाहिए या फिर तम्बाकू के अलावा अन्य उत्पादों की ओर उन्हें मोड़ देना चाहिए।

9. तम्बाकू की आदत से छुटकारा क्या बहुत कठिन है ?

- हाँ, क्योंकि तम्बाकू सेवन से व्यक्ति इसका अभ्यस्त हो जाता है। जिन लोगों ने इसे छोड़ा है उन्होंने इसे एकदम से छोडा है और इसके लिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति मुख्य ताकत होती है। इसी के बल पर वे इस नशे को यकायक छोडने के असर को झेल जाते हैं।
- तम्बाकू को चरणबद्ध तरीके से भी छोडा जा सकता है। इसके लिए सामूहिक उपचार, चर्चाएं और सलाह–मशवरा उपयोगी तरीके हैं।
- तम्बाकू से मुक्ति का पहला चरण यह तय करना है कि तम्बाकू छोडना है। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के हित में पहले यह तय करे क्योंकि धूम्रपान करना धीरे–धीरे रोज की जाने वाली आत्महत्या है।

10. विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के मुख्य लक्ष्य क्या हैं ?

धूम्रपान करने वालों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि धूम्रपान कम करने या इसे छोड़ने के लिए बतौर पहला कदम वे एक दिन के लिए स्वेच्छा से तम्बाकू छोडने का निश्चय करें।

तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों से अपील करें कि वे सबकी भलाई के लिए साल में कम से कम इस एक दिन स्वेच्छा से तम्बाकू न बेचें।

समाचार पत्रों से यह अपील करें कि तीसरी दुनिया के जिन देशों में अभी तम्बाकू पर कानूनन प्रतिबंध नहीं है वहां साल में कम से कम किसी एक दिन वे सार्वजनिक हित में तम्बाकू का कोई विज्ञापन ना छापें और जहां ऐसे प्रतिबंध का कानून है वहां भी इस दिन विशेष रूप से तम्बाकू सेवन के विनाशकारी परिणामों को सविस्तार छापें।

धारा 4 के संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने सम्बन्धि कानून के निर्देश या निष्कर्ष क्या है ?

- COTPA अधिनियम के धारा–4 के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। इसके उल्लंघन की स्थिति में 200/– रुपये तक का अर्थ दण्ड वसूल किया जाता है। तकनीकी तौर पर समझौते के जरिए समाधान योग्य अपराध को समाधेय अपराध कहा जाता है। ऐसा अपराध जिसमें दंड स्वरूप कोई समझौता मुमकिन हो और न्यायालयीन कार्यवाही से किया जा सकें, वह इस श्रेणी में आता है।

2. प्रतिबंध कब से प्रभावशील हुआ ?

सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान सम्बन्धी प्रतिबंध 1 मई 2004 को जारी हुए और 2 अक्टूबर 2008 से यह पूरे भारत में प्रभावशील हैं।

3. वह कौन से सार्वजनिक स्थल हैं, जहाँ यह प्रतिबंध लागू होते हैं ?

जन सामान्य की पहुँच वाले सभी सार्वजनिक स्थलों जिसमें **सही या गलत** किंतु खुले स्थान शामिल नहीं है यह प्रतिबंध लागू होता है। जैसे –

- सभागार
- अस्पताल भवन
- रेलवे प्रतीक्षालय
- मनोरंजन कक्ष
- रेस्त्रां और इसके समीपस्थ खुला परिक्षेत्र
- मदिरालय
- डिस्कोथेक
- आहार विहार कक्ष
- भोजन स्थल या बैंक्वेट हॉल
- केन्टीन
- पब
- हवाई अड्डा लाउंज (हवाई अड्डे पर पृथक कक्ष की व्यवस्था की जा सकती है।

- सार्वजनिक व निजी कार्यालय
- पुस्तकालय
- कार्यस्थल
- शापिंग माल
- सिनेमाघर
- खेल के मैदान
- रेलवे स्टेशन
- बस अड्डा
- सार्वजनिक परिवहन साधन
- शैक्षणिक संस्थान
- न्यायालयीन परिसर

इस प्रकार के सभी सार्वजनिक स्थान जहाँ आम तौर पर लोगों का आना जाना हो।

4. सार्वजनिक स्थल के अंतर्गत कौन सी खुली जगह शामिल की गई हैं ?

खुले सभागार, खेल के मैदान, रेल्वे स्टेशन, बस अड्डे, इसी प्रकार के अन्य स्थल।

5. सार्वजनिक स्थलों के प्रबंधकों/अधिकृत अधिकारियों द्वारा अपने निगरानी क्षेत्र में धूम्रपान निषेध कानूनों के समुचित अनुपालन हेतु क्या किया जाना चाहिए ?

- गैर धूम्रपान क्षेत्र में दर्शाए गए नियमों के अनुसार चेतावनी निर्देश वाले सूचना पटल का प्रदर्शन।
- कानून के उल्लंघन की स्थिति में जिसके सम्मुख शिकायत दर्ज की जा सके, उस व्यक्ति का नाम भी संसूचित एवं उल्लेखित किया जाए।

- संस्थान में धूम्रपान निषेध कानून के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने वाले व्यक्तियों को नियमानुसार कर्तव्यपालन हेतु प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करना कानून का अनुपालन न करने की स्थिति में परिणामों का विवरण दिया जाना। कानून के प्रवर्तकों/अनुपालन कराने वालों को चालान जारी करने, अपराध के निराकरण और दण्ड लागू करने इत्यादी का प्रशिक्षण देना।
- स्टाफ कर्मियों को धूम्रपान निषेध कानून के प्रावधानों की जानकारी देना।

  कानून के अनुपालन/पर्यवेक्षण हेतु नियमित जाँच, आकस्मिक जाँच के उद्देश्य से केन्द्रीय समिति/कार्यदल का गठन।
- अपराध के दंड स्वरूप वसूली गई राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित खाते में जमा कराना।

6. धूम्रपान निषेध सम्बन्धि सूचना पटल कहाँ लगाए जाने चाहिए ?

- यह सूचना पटल सभी सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने चाहिए। 60X30 से.मी. आकार वाले सूचना पटल सभी प्रवेशद्वार, सीढ़ियो, लिफ्ट के प्रवेशद्वार और प्रत्येक भीतरी गुप्त या संदिग्ध जगह पर लगाए जाने चाहिए, जिस पर लिखा हो– **'गैर धूम्रपान क्षेत्र : यहाँ धूम्रपान प्रतिबंधित है।'**

7. कर्तव्य अनुपालन में लापरवाही बरतने पर क्या अधीकृत अधिकारी के खिलाफ किसी कार्यवाही का उल्लेख धूम्रपान निषेध कानून के अंतर्गत है ?

- यदि भवन स्वामी, संचालक, प्रबंधक, पर्यवेक्षण या किसी भी सार्वजनिक स्थल का प्रभारी व्यक्ति/अधिकारी अपने निगरानी क्षेत्र में धूम्रपान निषेध कानून के अनुपालन कराने में लापरवाही बरतता है या अक्षम सिद्ध होता है, तो उस पर प्रत्येक उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

8. भारत में धूम्रपान निषेध कानून के प्रवर्तन हेतु समन्वयक (नोडल) संस्था कौनसी है ?

- राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग अन्य केन्द्रीय/राज्य स्तरीय शासकीय विभागों, अधीकृत अधिकारियों और अन्य विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर धूम्रपान निषेध कानून के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित बनाने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा। अधीकृत अधिकारियों का विवरण सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध कानून के नियमानुसार संसूचित किया गया है, जो 2 अक्टूबर 2008 से प्रभावशील है।

9. क्या ऐसे कोई सार्वजनिक स्थल हैं, जहाँ धूम्रपान हेतु निर्धारित पृथक क्षेत्र की अनुमति दी गई हो? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

- सभी हॉटल, रेस्त्रां, हवाई अड्डे सार्वजनिक स्थलों के अंतर्गत आने के कारण धूम्रमुक्त होने चाहिए किंतु निम्न स्थलों के स्वामी, प्रबंधक, संचालक, प्रभारी अपने यहाँ धूम्रपान हेतु पृथक कक्ष/क्षेत्र की व्यवस्था कर सकते हैं–
- तीस या अधिक कक्षों वाले हॉटल
- तीस या इससे अधिक बैठक व्यवस्था वाले रेस्त्रां
- हवाई अड्डे
- धूम्रपान हेतु नियत सभी कमरे भवन के इस तल पर मौजूद अन्य कक्षों से पूरी तरह अलग हों, एक से अधिक मंजिल/तल की स्थिति में यह कक्ष परिस्थिति के अनुसार एक ही तल या क्षेत्र (विंग) में हो।

- ऐसे सभी कमरों को अंगरेजी या किसी एक अन्य भारतीय भाषा में स्पष्ट तौर पर लिखी सूचना के जरिए दर्शाया जाना चाहिए।
- इन कमरों से निकलने वाली दूषित हवा सीधे बाहर निकाली जा सके और वह भवन के अन्य क्षेत्रों की वायु में न जाकर मिल सकें। इन अन्य क्षेत्रों में हॉटल की लाबी, बरामदा, गलियारा आदि शामिल हैं।

10. क्या यह सच है कि हवाई अड्डे, हॉटल, रेस्त्रां आदि के प्रवेशद्वार के समीप धूम्रपान हेतु कोई क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता, जबकि इन स्थलों पर धूम्रपान हेतु पृथक क्षेत्र की अनुमति दी गई है ? क्या धूम्रपान के लिए नियत क्षेत्र में अन्य सेवा/ सुविधाएं प्रदान की जा सकती है ?

- जी हाँ ! प्रवेशद्वार के समीप धूम्रपान हेतु किसी क्षेत्र के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही धूम्रपान के लिए निर्धारित क्षेत्र में अन्य किसी सेवा, सुविधा की इजाजत नहीं है।

11. शिकायत किस प्रकार दर्ज की जा सकती है ?

- कानून के उल्लंघन की स्थिति में भवन मालिक या प्रबंधक को आप सूचित कर सकते हैं, जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही राष्ट्रीय **टोल फ्री सहायता सेवा** 1800–110–456 अथवा ऑनलाइन सूचना तंत्र और नियमानुसार अधीकृत अधिकारियों के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- धूम्रपान के लिए अलग क्षेत्र निम्न निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही बनाया जा सकता है –
- वह चारों और पूरी ऊंचाई वाली दीवार से घिरा और अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह अलग हो। इसके प्रवेश पर स्वचालित द्वार हो जो सामान्यतः बंद स्थिति में रहे।
- निर्धारित निर्देशानुसार वहाँ प्रवाही तंत्र हो।
- दूषित वायु सीधे बाहर निकले,और वह भवन के अन्य हिस्सों की शुद्ध वायु में वापस न मिले।
- यह वायु प्रवाही तंत्र इस प्रकार लगाया जाए कि उसकी निकासी व्यवस्था पुनर्चक्रीकरण आधारित न हो या वह वायु परिशोधन केंद्रित अथवा दोनों हो और उसके जरिए दूषित वायु गैर धूम्रपान क्षेत्र में न पहुँच पाए।
- भवन के शेष हिस्सों की तुलना में इस क्षेत्र के भीतर वायुदाब नकारात्मक या न्यूनतम हो।
- धूम्रपान क्षेत्र भवन, होटल, हवाई अड्डे, रेस्त्रां के प्रवेशद्वार के समीप नहीं हो और इस पर स्पष्ट रूप से अंगरेजी और एक भारतीय भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा हो – **'धूम्रपान हेतु निर्धारित क्षेत्र'**

  धूम्रपान के लिए निर्धारित क्षेत्र का उपयोग अन्य किसी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- तीस या इससे अधिक कक्षों वाले हॉटलों के स्वामी, प्रबंधक, संचालक या प्रभारी अपने यहाँ विशेष रूप से धूम्रपान के लिए निर्धारित कमरों का निर्माण निर्धारित मानदंडों के आधार पर कर सकते है।

धारा 6 के प्रावधानों के संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्र. 1 शैक्षणिक संस्थान के 100 गज दायरे की माप किस प्रकार की जाए, जहाँ नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद का विक्रय प्रतिबंधित किया गया हो ?

- सौ गज दायरे की सीमा शैक्षणिक संस्थान की बाहरी दीवार या उसकी परिधि से नापी जानी चाहिए।

प्र. 2 शैक्षणिक संस्थान के बाहर चेतावनी निर्देश सम्बन्धी सूचना पटल लगाने की जिम्मेदारी किस पर है और इस पर क्या लिखा होना चाहिए ?

- शैक्षणिक संस्थान के बाहरी द्वार या इसके समीप सूचना पटल प्रदर्शित करने का दायित्व प्रधानाचार्य अथवा संस्थान प्रबंधन का है। इस सूचना पटल पर लिखा होना चाहिए।
- इस शैक्षणिक संस्थान के 100 गज दायरे के भीतर किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद विक्रय करना दंडनीय अपराध है, जिसके दंड स्वरूप 200/– रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

नमूना सूचना पटल :–

60 CM WIDE

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/–रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम _____

30 CM WIDE

प्र. 3 तम्बाकू विक्रय स्थल पर चेतावनी सम्बन्धी सूचना पटल लगाने की जिम्मेदारी किस की है और इस पर क्या लिखा होना चाहिए ?

- तम्बाकू उत्पाद का विक्रय करने वाले व्यक्ति पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी दुकान पर 60X30 से.मी. आकार वाला यह सूचना पटल लगाए जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा हो–
- **18 वर्ष** से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना एक दण्डनीय अपराध है।

- नमूनार्थ सूचना पटल :–

प्र. 4 तम्बाकू उत्पाद खरीदने वाले की आयु को प्रमाणित/सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसका है और इसके उल्लंघन की स्थिति में क्या दंड निर्धारित किया गया है ?

सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाला ही यह सुनिश्चित करे कि जिसे वह तम्बाकू उत्पाद बेच रहा है, उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है। इसके उल्लंघन की स्थिति में 200/– रुपये तक का अर्थदण्ड उस पर लगाया जा सकता है।

प्र. 5 शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचने का अधिकार नहीं है। इस नियम को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस पर है ?

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग पर बतौर नोडल (समन्वयक) संस्था इस प्रावधान को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। वह उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम की सूचना जाहिर कर सकते हैं, जिनके समक्ष इस प्रावधान के उल्लंघन की शिकायत की जा सके। राज्य सरकारों ने इसके अंतर्गत नगर निगम, पुलिस, खाद्य एवं मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग इत्यादी को इसके लिए अधीकृत किया है।

प्र. 6. नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर कौन से अधिकारी कार्यवाही कर सकते हैं ?

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें इस प्रावधान के अनुपालन करवाने हेतु अधिकृत अधिकारियों की संसूचना जारी कर सकती हैं।

सिगरेट शराब और धूम्रपान । मानव जीवन की लेती है जान ।।
पीकर तुम तंबाकू, सिगरेट और शराब । क्यों करते हो अपने जीवन को बर्बाद ।।

बीड़ी, सिगरेट, हर नशे को छोड़ो । मिलकर इस मकड़जाल को तोड़ो ।।
गर चाहो जीना सुख से दिन दो-चार । हरगिज ना करो नशे से प्यार ।।

धारा 7 के संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्र. 1 यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी किस पर है कि तम्बाकू उत्पादों के आवरण पर चित्रात्मक चेतावनी मौजूद हो ?

तम्बाकू उत्पाद के निर्माता, उत्पाद, विक्रेता, वितरक और निर्यात पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने उत्पाद पर नियमानुसार चित्रात्मक चेतावनी अनिवार्य रूप से दर्शाए। इस प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदंड, कारावास अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।

प्र. 2 तम्बाकू उत्पाद पर कहाँ चेतावनी दर्शायी जानी चाहिए ?

तम्बाकू उत्पाद के आवरण के मुख्य हिस्से के 85 प्रतिशत पर चित्रात्मक चेतावनी दर्शायी जानी चाहिए। यह प्रावधान वर्गाकार और वृत्ताकार सभी प्रकार की पुड़ियों/डिब्बों पर लागू होता है। बीड़ी जैसे नुकीले या शंक्वाकार तम्बाकू उत्पाद की पुड़ियों पर सर्वाधिक चौड़ा भाग ही चेतावनी दर्शाने हेतु सही शीर्ष भाग माना जाएगा।

1 सितम्बर 2018 से प्रभावी

1 सितम्बर 2019 से प्रभावी

प्र. 3 नियम उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही हेतु कौन से अधिकारियों को अधीकृत किया गया है ?

30 जुलाई 2008 को जारी अधिसूचना के अनुसार तम्बाकू उत्पाद पैकेजिंग एवं लेबलिंग सम्बन्धी नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न अधिकारियों को दी गई है –

1. राजस्व विभाग के अंतर्गत पंजीकृत कस्टम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के महानिरीक्षक और उससे ऊँचे सभी अधिकारी पद।
2. राजस्व विभाग/स्वास्थ्य/विक्रय कर/परिवहन विभाग कस्टम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के महा निरीक्षक और उससे ऊँचे स्तर के सभी अधिकारी ।
3. श्रम विभाग में कनिष्ठ श्रम आयुक्त
4. उद्योग/लघु उद्योग विभाग के आयुक्त कार्यालय में संयुक्त संचालक

5. खाद्य एवं औषधि/मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत व्यक्ति और पुलिस तथा राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में उपनिरीक्षक और उससे ऊँचे स्तर के अधिकारी।

आवश्यकता होने पर राज्य शासन द्वारा अन्य अधिकारियों की अधिसूचना जारी की जा सकती है।

निष्कर्ष :

- प्रतिभागी तम्बाकू नियंत्रण कानून के संबंध में पूछे जाने वाले सवालों के उत्तर बता सकेंगे।
- प्रतिभागी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों की जानकारी दे सकेंगे।
- प्रतिभागी प्रश्नों के माध्यम से तम्बाकू व तम्बाकू से स्वास्थ्य पर प्रभाव की जानकारी दे सकेंगे।

इन नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई भी शिकायत राष्ट्रीय टोल फ्री सहायता सेवा (24X7) नम्बर 1800-110-456 पर की जा सकती है।

तम्बाकू नियंत्रण के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश एवं परिपत्र

धारा 4 एवं 6 का उल्लंघन करने पर जुर्माने से प्राप्त राशि जमा करने हेतु खाते का निर्धारण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2019/2682 भोपाल, दिनांक 27/02/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
2. समस्त नोडल अधिकारी, एन.टी.सी.पी.मध्यप्रदेश।

विषयः– COTPA 2003 की विभिन्न धारा का उल्लंघन करने पर जुर्माने से प्राप्त राशि जमा करने बाबद।
संदर्भः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/एन.एच.एम./2015/भोपाल/पत्र क्रमांक/12720/17/11/15।

विषयातर्गत में लेख है कि COTPA (सिगरेट और अन्य तबाकू उत्पादन का (विज्ञापन का प्रतिशोध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) 2003 के अंर्तगत विभिन्न धारा के उल्लंघन करने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। इस जुर्माने से प्राप्त राशि को जिले में संधारित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन नॉन एन.एच.एम.खाता में जमा किया जावे एवं कैशबुक संधारित करते हुए रिपोर्ट राज्य कार्यालय को प्रतिमाह की 5 तारीख तक भेजा जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. बी.एन.चौहान)
संचालक,
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक / /2019

पृ. क्रमांक/एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2019/
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
2. संचालक, वित्त एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबधक, मध्यप्रदेश।

//
संचालक,
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश

शालाओं में यलो लाईन अभियान

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल — 462023
दूरभाष कमांक : 0755—2583659, ई—मेल : dpividhya@gmail.com

कमांक/विद्या/पी.ए./जे.डी./तम्बाकू/2019/398 भोपाल दिनांक 06/02/19

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण म.प्र.
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/ए.डी.पी.सी.,म.प्र.

विषय :— तम्बाकू मुक्त विद्यालय अभियान के प्रतिवेदन के संबंध में।

संदर्भ :— संचालनालय का पूर्व पत्र कमांक/विद्या/सी/23/2016/1973 /भोपाल दिनांक 10.08.2016 एवं कमांक/विद्या/ई/तम्बाकू/22/2018/1583/दिनांक 06.05.2018 व विद्या/ई/तम्बाकू/32/2018/2761/भोपाल दिनांक 05.09.2018।

———000———

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। बच्चों में तम्बाकू के बढ़ते उपयोग एवं इसके दुष्प्रभावों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। भारत वर्ष में प्रतिवर्ष 12 से 13 लाख लोगों की मृत्यु तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है।

शालाओं में शिक्षक तथा बच्चों में इसका उपयोग प्रतिबंधित हो एवं शाला तम्बाकू मुक्त हो, इसके लिए उपयोगी कदम उठाने के लिए आपको संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय—समय पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए है तथा निर्देशानुसार तम्बाकू नियन्त्रण कानून के अनुसार विद्यालय के अन्दर एंव बाहर आवश्यक चेतावनी बोर्ड लगने के निर्देश दिए गये है। भारत सरकार द्वारा तम्बाकू आपदा को नियंत्रित करने के लिये सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशोध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 6ब के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (100 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।

उपर्युक्त संदर्भ में सभी शालाओं में यलो लाईन अभियान चलाया जाए जिसके अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाए।

1. शैक्षणिक संस्थान के सामने 100 गज के दायरे में एक पीली रेखा बनाई जाए उस पर लिखा जाए "तम्बाकू मुक्त क्षेत्र"।
2. शैक्षणिक संस्थान का 100 गज का दायरा तम्बाकू मुक्त हो और इस दायरे में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान न हो।
3. सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक संस्थान में कोई भी तम्बाकू पदार्थों का सेवन ना करें।

स्वास्थ विभाग द्वारा तम्बाकू नियंत्रण हेतु राशि रूपये 1 लाख प्रति जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आंबटित की गई है। कृपया जिला कलेक्टर के माध्यम से आपके जिले के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संम्पर्क कर उक्त राशि से शालाओं के सामने 100 गज के दायरे में एक पीली रेखा बनाई जाकर पर "तम्बाकू मुक्त क्षेत्र" लिखवाया जाए तथा दिनांक 28 फरवरी 2019 तक जिले की कितनी शालाओं में यह कार्यवाही कर ली गई है उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म0प्र0

पृ. कमांक/विद्या/पी.ए./जे.डी./तम्बाकू/2019/399 भोपाल दिनांक 06/02/19

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, जन संपर्क संचालनालय, बाणगंगा भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त प्राचार्य/प्रधानाध्यापक, शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल/मिडिल/प्राथमिक शालाओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सचिव, मध्य प्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, पोस्ट कस्तूरबा ग्राम, खण्डवा रोड, बिलावली तालाब के पास, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म0प्र0

हुक्क बार/केन्द्रों पर कार्यवाही

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/NHM/NTcP/9082 भोपाल, दिनांक 24-08-2018

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर,
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम
   मध्य प्रदेश।

विषय :— अवैद्य संचालित हुक्का बार/केंद्रो में कार्यवाही किये जाने बाबत्।

संदर्भ :— संचालनालय का पत्र कमांक–7/लो.स्वा./एन.टी.सी.पी./2012/5 भोपाल दिनांक 04/01/2013।

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन हो जिसमें कॉफी शॉप/ रेस्टोरेंट की आड में चल रहे हुक्का केन्द्रों में धूमपान के संबंध में कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन वर्तमान में भी हुक्का केंद्रों के संचालन एवं उनमें धूम्रपान कराये जाने से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें अवयस्क भी धूम्रपान करा रहे है जो कि अत्यंत चिंताजनक है।

भारत शासन द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त सार्वजनिक स्थानो पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। धूम्रपान अन्तर्गत तम्बाकू का उपयोग कर बनाए गये किसी भी उत्पाद का धूम्रपान शामिल है जैसे:— सिगरेट, बीड़ी, पाईप, हुक्का इत्यादि।

अतः उक्त के सम्बध में आप निरीक्षण दल गठित कर आपके जिले में चल रहे हुक्का बार/हुक्का केंद्र का औचक निरीक्षण कराये एवं हुक्का में उपयोग किए गये पदार्थ का सेंपल लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रयोगशाला में जॉच कराये एवं तम्बाकू का उपयोग पाये जाने पर तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करना प्रारंभ करें, बनाये जाने वाले निरीक्षण दल में राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा प्रतिनिधि, नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी, खादय एवं औषधि प्रशासन का निरीक्षक, पुलिस सब इंसपेक्टर अथवा उससे उच्च अधिकारी एवं आबकारी विभाग का अपर निरीक्षक अथवा उच्च अधिकारी को शामिल किया जावें।

इन हुक्का केन्द्रों में अवयस्कों को धूम्रपान कराये जाने, अवयस्कों के द्वारा काम कराये जाने अथवा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य धूम्रपान निषेध संबंधी सूचना बोर्ड न लगे होने पर यथोचित कार्यवाही कर राज्य की एन.टी.सी.पी. शाखा को अवगत करायें।

(पल्लवी जैन गौविल)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र

पृ.क्र/NHM/NTcP/9083 भोपाल, दिनांक 24-08-2018

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाए, म.प्र.।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
6. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एन.टी.सी.पी., मध्य प्रदेश।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र

जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठकें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2018/10074 भोपाल, दिनांक 21-10-2018

तत्काल

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त नोडल अधिकारी,
   राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
   मध्यप्रदेश।

विषय :– एन.टी.सी.पी. अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित किए जाने बाबत्।

संदर्भः–1. राज्य शासन के आदेश क्रमांक/एफ 10–53/2005/सत्रह/मेडि–2 दिनांक 22/05/2009
2. राज्य शासन के आदेश क्रमांक/503/1510/2010/17/मेडि–2 दिनांक 28/03/2011

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अनुभाग 4, 5, 6 एवं 7 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की बैठक निरंतर आयोजित करने का दायित्व सदस्य सचिव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का है।

अतः आपके जिले में वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयोजित की गई बैठक की जानकारी, कार्यवाही विवरण फोटो सहित दिनांक 25 सितम्बर 2018 तक अनिवार्यतः से ई–मेल आई डी ddoralhealth.nhm@mp.gov.in पर भेजा जाना सुनिश्चित करें एवं **माह सितम्बर से प्रतिमाह इस समिति की बैठक आयोजित करें** एवं तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के प्रावधानों को जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

(धनराजू एस.)
मिशन संचालक
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

पृ. क्र./एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 10-37 ——/2018/18–2/ भोपाल, दिनांक: 28/6/18

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम (म.प्र.)
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका/नगर परिषद, (म.प्र.)

विषयः—नगरीय निकायों एवं स्मार्ट सिटी में भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानूनं (COTPA) 2003 की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के पूर्णतः परिपालन के संबंध में।

विषयान्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 द्वारा तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने, जनहानि को रोकने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का विधि के प्रावधानों के पालन में कड़ाई से लागू किया जाना आवश्यक है।

1. भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 की विभिन्न धाराओं में तम्बाकू के उपयोग से होने वाली जनहानि को रोकने के लियें निम्नानुसार दिये गये प्रावधान अनुसार कार्यवाही किया जाना है:—

1.1 धारा 4—

धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200/— रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

1.2 धारा 5—

तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्णतः रोक है, जिनमें आकर्षित करने वाली योजनाएं, मुफ्त नमूनों का वितरण, तम्बाकू के ब्रांड के नाम पर किसी दूसरे उत्पाद को बेचना आदि शामिल है। (किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद—सिगरेट, बीड़ी, डिस्प्ले बोर्ड इत्यादि लगाना निषेध है)। यदि कोई धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो धारा 22 के तहत अर्थदण्ड एवं कारावास का प्रावधान है। उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपनी मासिक बैठकों के दौरान धारा 5 के उल्लंघनो की समीक्षा करें और समय समय पर अभियान चलाकर तम्बाकू उत्पाद की दुकानों एवं अन्य जगहों पर तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों को हटाने की कार्यवाही करें।

1.3 धारा 6 (6 अ एवं 6 ब)—

3 (Shakha-2)

धारा 6 अ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर नियमानुसार चेतावनी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें।

धारा 6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित है । धारा 6 का कडाई से पालन कर इस दायरे में आने वाली सभी दुकानें/गुमठियो/स्थायी–अस्थायी तम्बाकू बिक्री केन्द्रों को हटाना सुनिश्चित करें एवं समय–समय पर बैठकों के दौरान समीक्षा करें ।

1.4 धारा 7–

अ– तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी आवश्यक है।

ब– कोई भी तम्बाकू उत्पाद तब तक नहीं बेचा जा सकता, जब तक कि उसके पैकेज पर निर्धारित चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित न हो।

स– यह स्वास्थ्य चेतावनी पैकेट के सामने के मुख्य क्षेत्र के न्यूनतम 85 प्रतिशत हिस्से पर होनी चाहिये एवं पैकेट के ऊपरी किनारे के समानान्तर होनी चाहिए।

द– तम्बाकू उत्पादों के लिए भ्रामक भाषा जैसे हल्का, मध्यम अति हल्का अथवा वर्णात्मक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। धारा 7 के उल्लंघन पर (धारा 20 के तहत) जुर्माने एवं कारावास का प्रावधान है। अतः सुनिश्चित करें कि तम्बाकू उत्पाद थोक एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 की धारा 7 का पूर्ण परिपालन करें एवं उल्लंघन करने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जावे।

2. तम्बाकू नियंत्रण कानून की उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देशों पर भी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें :–

2.1 नगरीय निकायों में संचालित तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को दिए जाने वाले लाइसेंस की शर्तों में तम्बाकू नियंत्रण की धारा 5, 6 एवं 7 का पूर्णतः पालन करने की शर्त जोड़ें साथ ही यह भी शर्तों में लिखें कि कोई भी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर कोई अन्य सामग्री जैसे टॉफी, बिस्किट आदि विक्रय नहीं कर सकेगा। इन दुकानों पर केवल तम्बाकू उत्पाद ही बेचे जा सकेंगे और उल्लंघन की दशा में तम्बाकू उत्पादों की दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी एवं नगरीय निकायों द्वारा अन्य दुकानों को लाइसेंस देने की शर्तों में उल्लेख करें कि वे अपनी दुकानों से किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करेंगे।

2.2 निकायों द्वारा दिये जाने वाले नवीन लाइसेंस में सुनिश्चित करें कि होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादी COTPA 2003 की विभिन्न धाराओं का पूर्णतः पालन करें एवं धारा 4 में वर्णित सभी मापदण्डों को लागू करे।

2.3 पूर्व लाइसेंसधारी वर्तमान में यदि होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट इत्यादि ने तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA 2003) की धारा के किसी भी मापदण्ड का उल्लंघन किया है तो उसके संबंध में उचित वैधानिक कार्यवाही करें एवं आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें।

2.4 होटल, बार, रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाऊस एवं अन्य खाद्य पदार्थ के विक्रय स्थानों पर यदि कोई धूम्रपान के लिये गैर तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग करने का दावा करता है तो उस गैर तम्बाकू उत्पाद का सेम्पल राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है इसका पालन सुनिश्चित करें।

2.5 स्मार्ट सिटी मिशन में सुनिश्चित करें कि सभी स्मार्ट सिटीं में भी तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6, 7 का पूर्णतः प्रतिपालन हो और स्मार्ट सिटी के सभी सार्वजनिक

स्थल धूम्रपान मुक्त हों। स्मार्ट सिटी से संबंधित अधिकारियों के लिये तम्बाकू नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किये जायें।

2.6 होटल, बार, रेस्टोरेंट, कॉफी हाऊस एवं अन्य खाने के स्थानों अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्यवाही करें।

2.7 समय–सीमा की बैठक में तम्बाकू नियंत्रण कानून के परिपालन के लिये की गई कार्यवाही की समीक्षा करें।

2.8 उक्त के पालनार्थ प्रवर्तन दल गठित कर या अधिकृत अधिकारी/जोनल–वार्ड अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह निरंतर निगरानी करें।

2.9 स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत तम्बाकू नियंत्रण को भी शामिल करें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

20/4/18

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक 10-37/2018/18-2 भोपाल, दिनांक : 20/4/18

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी म0प्र0।
4. श्री अंशुमं सिंह, वेब कन्टेन्ट मैनेजर, सीएमए/नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, म0प्र0 की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ईमेल हेतु।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

दस्तखत/–
दस्तखत/–

20/4/18

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल

पान मसाला और तम्बाकू के जाइंट पैक की बिक्री पर प्रतिबंध

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशा मध्यप्रदेश

क्र./3/खाद्य/02/59/2016/ 5615 भोपाल, दिनांक 19/10/2016

प्रति,

समस्त अभिहित अधिकारी
एवं उपसंचालक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश।

विषय :– खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का पालन सुनिश्चित कराने बाबत।
संदर्भ :– माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश क्रमांक 1/10 दिनांक 23.09.2016।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं इसके अधीन बनाए गए विनियम (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार "किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।" इस संबंध में इस प्रशासन के आदेश क्रमांक 3/खाद्य/2/19/06/3765 भोपाल, दिनांक 31.03.12 के द्वारा प्रदेश में तंबाकू युक्त एवं निकोटिन युक्त गुटखा जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश क्रमांक 1/10 दिनांक 23.09.2016 द्वारा यह संज्ञान लिया गया है, कि अनेक प्रतिष्ठानों पर पान मसाला एवं तंबाकू को विभिन्न प्रकार की पैकिंग में एकसाथ स्टेपल कर या जॉइंट पैक में अथवा पान मसाला एवं तंबाकू को एक साथ संयुक्त कर बेचे जा रहे हैं।

इस संबंध में उपरोक्त संदर्भ एवं विषयांतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है, कि आपके जिले में उपरोक्त प्रकार से पान मसाला एवं तंबाकू का विक्रय न होना सुनिश्चित करें। एवं पान मसाला एवं तंबाकू के पैकेटों का इस प्रकार से विक्रय होने पर ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

आयुक्त 19.10.16
खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./3/खाद्य/02/59/2016/ 5616 भोपाल, दिनांक 19/10/2016

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश

धारा 7 से संबंधित आवश्यक कार्यवाही

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

क्रमांक–3/खाद्य/1/7/2016/2695 भोपाल दिनांक 24–5–2016

प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
म्यू. पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद

विषय : सिगरेट के पैक्ड पैकेट पर संशोधित 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी के प्रदर्शन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्।

संदर्भ : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मुख्य सचिव को संबोधित पत्र क्रमांक पी–16019/04/2015–पीएच–I दिनांक 01.04.2016।

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक G.S.R. 730(E), दिनांक 24 सितम्बर, 2015 के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज पर मुख्य प्रदर्शित क्षेत्र में 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी को प्रदर्शित करना दिनांक 01.04.2016 से अनिवार्य किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्नक–1 पर संलग्न है। उक्त का क्रियान्वयन किया जाना है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 एवं 7 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु संलग्न–2 पर संलग्न सूची अनुसार दर्शाये गये विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 12(1) एवं 13(1) के प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक – 2354–2008–सत्रह–मेड़ि–2, दिनांक 01, अक्टूबर, 2008 में कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। छायाप्रति संलग्न–3 पर संलग्न है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपके अधीनस्थ पदस्थ प्राधिकृत अधिकारियों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी न प्रदर्शित करने वाले ऐसे तम्बाकू उत्पाद के निर्माता/विक्रेता के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 7 सहपठित दण्डनीय धारा 20 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित)

(व्ही. किरण गोपाल)
भा.प्र.से.
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
एवं नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश

धारा 4, 5, 6, 7 के पूर्णतः परिपालन बाबत्

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2015/13 भोपाल, दिनांक 02.01.16

प्रति,

1. क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
   (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा एवं सागर संभाग)
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, म.प्र.।

विषय : भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के पूर्णतः परिपालन बाबत्।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 की धारा 4,5,6, एवं 7 का पूर्णतः परिपालन नहीं किया जा रहा है। विश्व में प्रतिवर्ष 50 लाख लोग और भारत में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ तम्बाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है। भारत सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिये **सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003)** बनाया है। अतः म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (**COTPA**) 2003 के विभिन्न धाराओं का कड़ाई से पालन करने हेतु कटिबद्ध है। अतः आप सभी से सहयोग अपेक्षित है। यह निर्देशित विधि के प्रावधानों के पालन एवं तम्बाकू के उपयोग से होने वाली जनहानि को रोकने के उद्देश्य से जारी किये जा रहे है।

धारा 4

धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे भासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शापिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एअरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200/– रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

आप अपने विभाग/कार्यालय/संस्थान/व्यापारिक प्रतिष्ठान में सुनिश्चित करें कि –

- निम्न प्रारूप के धूम्रपान निषेध संबंधी न्यूनतम 60 X 30 से.मी. आकार के बोर्ड लगे हो।

- तम्बाकू नियंत्रण कानून के अन्तर्गत यह बोर्ड लगाना मालिक या प्रबंधक की जिम्मेदारी है।
- इस हेतु आपके विभाग/कार्यालय/संस्थान/व्यापारिक प्रतिष्ठान में अधिकारी को अधिकृत करे ताकि वो निगरानी कर विभाग/कार्यालय/संस्थान/व्यापारिक प्रतिष्ठान में धूम्रपान करने वालो को अर्थ दण्ड कर सके।
- तम्बाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन की सूचना देने के लिये संस्थान में शिकायत अधिकारी का नाम उल्लेखित किया जाए जैसे –

श्री/श्रीमती _____
स्थान/संस्थान का नाम
फोन नं.

- संस्थान में कोई धूम्रपान ना करे, अगर आपके संस्थान, कार्यालय में कोई धूम्रपान करते हुए मिलता है और आप कोई कार्यवाही नही करते है तो अर्थदण्ड आपसे भी वसूला जायेगा।
- धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली कोई वस्तु जैसे – एश ट्रे, लाईटर आदि ना हो।
- सुनिश्चित करे की होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादी में कोटपा की विभिन्न धाराओं का पूर्णतः परिपालन हो।

नये लाईसेन्स में सुनिश्चित करें की होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादी कोटपा की विभिन्न धाराओं का पूर्णतः परिपालन करें। धारा 4 में वर्णित सभी मापदण्ड को लागू करे। यदि होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट इत्यादी ने तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA 2003) की धारा के किसी भी मापदण्ड का उल्लंघन किया है तो उसके लाईसेन्स को भी निरस्त करने की कार्यवाही करे।

धारा 5 के अन्तर्गत

- तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्णतः रोक है जिनमें आकर्षित करने वाली योजनाएं, मुफ्त नमूनों का वितरण, तम्बाकू के ब्रांड के नाम पर किसी दुसरे उत्पाद को बेचना आदि शामिल है।

- तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर लगाए जाने वाले बोर्ड पर सिर्फ तम्बाकू उत्पादों के किस्म की सूचि होगी और बोर्ड पर ब्रांड या अन्य अभिग्रहीकारक सन्देश या चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाएँगे। ऐसे बोर्ड को पीछे से प्रकाशमय नहीं किया जायेगा।

- किसी भी भंडार गृह या दुकान जहाँ सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जाता हो वहाँ के प्रवेश द्वार पर विज्ञापन के लिए प्रयुक्त बोर्ड आकार 60 से.मी. X 45 से.मी. से अधिक नहीं होगा का और निम्न प्रारूप के बोर्ड लगाये जा सकते है।

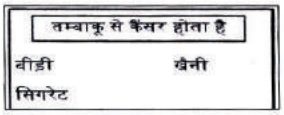

- ऐसे बोर्ड पर हिन्दी/अंग्रेजीं में बोर्ड के किनारे पर 20X15 से.मी. की चेतावनी तम्बाकू से कैंसर होता है या तम्बाकू से मौत होती है सफेद पृष्टभूमि पर लिखी होनी चाहिए।
- स्थान का मालिक या प्रबंधक तम्बाकू उत्पादों को ऐसे प्रदर्शित नहीं करेगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सहज रूप से दृश्य हो।

धारा 5 के उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड

यदि कोई धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो धारा 22 के तहत :—

- प्रथम बार उल्लंघन के मामलें में दो वर्ष तक कारावास एवं राशि रूपये 1000/— तक जुर्माना।
- दुसरी बार उल्लंघन पर 5 वर्ष कारावास एवं पांच हज़ार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
- धारा 23 के तहत यदि कोई धारा 5 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो विज्ञापन या विज्ञापन सामग्री का सरकार द्वारा समपहरण किया जा सकेगा।
- धारा 5 के उल्लंघन करने पर पुलिस एवं राज्य औशध प्रशासन के उपनिरीक्षक और इससे ऊपर के अधिकारियो को प्रवेश करने, खोज करने और जब्त करने की शक्तिया है।

उपरोक्त अनुसार धारा 5 के उल्लंघनो की समीक्षा करे और समय समय पर अभियान चलाकर तम्बाकू उत्पाद की दुकानों एवं अन्य जगहों पर तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों हो हटाने की कार्यवाही करें।

धारा 6 के अन्तर्गत

इस कानून की **धारा 6क** के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र को/के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।

6ख के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की दुकान प्रतिबंधित है । **धारा 6क व 6ख** का उल्लंघन करने वालों पर भी **200/— रुपये** तक जुर्माने का प्रावधान है। आपे जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित करे कि —

धारा 6 क व ख के सन्दर्भ में सुनिश्चित करें की :

धारा 6क के तहत :

1 तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर 30X60 से.मी. का निम्न प्रारूप का बोर्ड लगा हो।

2 तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर नाबालिगो को तम्बाकू उत्पाद नही बेचे जाये।
3 नाबालिगो द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाये।

धारा 6 ख के तहत :

1 शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली कोई दुकान न हो।
2 शैक्षणिक संस्थानों के मुख्य द्वार पर निम्नलिखित प्रारूप का बोर्ड लगा हो।

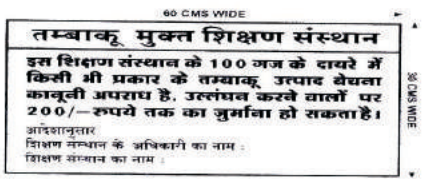

धारा **6क** और **6ख** के उल्लंघन में किये गये अपराधों के लिये प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग के निरीक्षक रेंक के अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड विस्तार अधिकारी, खण्ड विस्तार प्रशिक्षक कार्यवाही करने के लिये अधिकृत है।

धारा 4 एवं धारा 6 के उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये तक का अर्थदण्ड किया जा सकता है इसके लिये रसीद बुक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अर्थदण्ड द्वारा वसूली गई रकम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के 0210 अकाउंट हेड में जमा की जानी है।

धारा 7 के अन्तर्गत

तम्बाक नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।

- सभी तम्बाकू पदार्थो के 40 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां होनी चाहिए।
- तम्बाकू उत्पादों के लिए भ्रामक भाषा जैसे हल्का, मध्यम अति हल्का अथवा वर्णात्मक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध है।

धारा 7 के उल्लंघन पर जुर्माना (धारा 20 के तहत)

उत्पादक :

- प्रथम बार उल्लंघन करने पर 2 वर्ष कारावास अथवा पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों।
- दूसरी बार उल्लंघन पर 2 वर्ष कारावास एवं तीन हजार रूपये तक जुर्माना।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपकी कार्यवाही आवश्यक है :

1. नये लाईसेन्स में सुनिश्चित करे की होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादी कोटपा की विभिन्न धाराओं का पूर्णतः परिपालन करे। धारा 4 में वर्णित सभी मापदण्ड को लागू करे। वर्तमान में यदि होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट इत्यादी ने तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA 2003) की धारा के किसी भी मापदण्ड का उल्लंघन किया है तो उसके संबंध में उचित वैधानिक कार्यवाही करे।
2. होटल, बार, रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाऊस एवं अन्य खाने के स्थानों पर यदि कोई धूम्रपान के लिये गैर तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग करने का दावा करता है तो उस गैर तम्बाकू उत्पाद का सेम्पल राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।

3- लाईसेन्स धारक भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून की उपरोक्त वर्णित धाराओं का पालन सुनिश्चित करें अन्यथा संस्थान का लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है। साथ ही संस्थान में धूम्रपान हेतु निर्धारित कक्ष बनाने से पहले जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, के अधिकारी से अनुमति लेना सुनिश्चित करे। उक्त विधिक प्रावधानों का पालन एवं क्रियान्वयन किया जावें। जो व्यक्ति/संस्था उपयुक्त प्रावधानों का पालन नहीं करते है, उनके विरूद्ध उचित वैद्यानिक कार्यवाही कि जावे।

4. टी. एल की बैठक के दौरान तम्बाकू नियंत्रण कानून के परिपालन की गई कार्यवाही को बताएं।
5. समय-समय पर जिला तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक को आयोजित करें ।
6. प्रवर्तन दल गठित कर या अधिकृत अधिकारी को निदेर्शित करें की वह निरंतर निगरानी करें।
7. सभी तम्बाकू थोक व्यापारियों को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करें कि वे स्वयं एवं अपने खुदरा व्यापारियों द्वारा धारा 5, 6 एवं 7 के मापदण्डों को पुर्ण करें।
8. जो व्यक्ति/संस्था/व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपयुक्त प्रावधानों का पालन नहीं करते है, उनके विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावे।

(फ़ैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक
O/C राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.

क्रमांक/एन.एच.एम./ एन.टी.सी.पी./2015/14 भोपाल, दिनांक 02.01.16

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.।
3. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल म.प्र.।
4. समस्त जिला दण्डाधिकारी / अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति म.प्र.।
5. संचालक, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, म.प्र.।

मिशन संचालक
O/C राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.

राज्य स्तरीय समन्वय समिति

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल—462004

::आदेश ::

भोपाल,दिनांक 15 जुलाई, 2014

कमांक एफ 19—73/2014/1/4:: राज्य शासन द्वारा भारतीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अनुभाग— 4, 5, 6, एवं 7 के प्रावधानों तथा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यकम के प्रदेश में प्रभावी कियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः—

1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य संचिव/प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव गृह विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव श्रम विभाग	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
10	प्रमुख सचिव जन संपर्क विभाग	सदस्य
11	प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य सचिव
12	कलेक्ट, भोपाल म0प्र0	सदस्य
13	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्वास्थ्य एवं प0क0 पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल।	सदस्य
14	श्री मुकेश सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, वालेन्ट्री हेल्थ एसोसियेशन, इन्दौर।	सदस्य

2/ समिति गठन का मुख्य उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रदेश में प्रभावी रूप से कियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य श्रेष्ठत्तर सामंजस्य स्थापित करना है।

3/ समिति की त्रै—मासिक आधार पर बैठक आयोजित कराई जावेगी।

4/ समिति विभिन्न विभागों द्वारा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करेगी।

5/ समिति की बैठक का संयोजन, समिति के सदस्य सचिव द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
15/07/14.
(डॉ0 अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
म0प्र0शासन,सामान्य प्रशासन विभाग
15/7/14

पृ0कमांक एफ 19—73/2014/1/4 भोपाल, दिनांक 15 जुलाई,2014

प्रतिलिपिः—

1. समिति के अध्यक्ष / सदस्य /सदस्य सचिव ।
2. प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल ।
3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।
4. उप संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय प्रकोष्ठ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15/07/14
उप सचिव
म0प्र0शासन,सामान्य प्रशासन विभाग
15/7/14

MOST URGENT

कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन
एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/3/खाद्य/2/19/06 3765 भोपाल, दिनांक 31-3-14

प्रति,

समस्त अभिहित अधिकारी
एवं उपसंचालक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश।

विषय : खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का पालन सुनिश्चित कराने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार "किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।"

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में तम्बाकू युक्त एवं निकोटिन युक्त गुटका जैसे खाद्य पदार्थ का निर्माण एवं विक्रय न होना सुनिश्चित करें । ऐसे खाद्य पदार्थो का संग्रह पाये जाने पर उन्हें नियमानुसार जप्त कर विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । ऐसे खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (कारोबार का अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत किसी भी खाद्य व्यावसायी को न तो पंजीकृत किया जाए और न ही उसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की जाए ।

31.3.14
आयुक्त
खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/3/खाद्य/2/19/06 3766-67 भोपाल, दिनांक 31-3-14

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म0प्र0भोपाल

क्रमांक–अअवि / विधि(1) / Misc / 49 / 09 / / 09 दिनांक / 7 / 09

प्रति,

:: परिपत्र ::

समस्त पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश,
समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल)
मध्यप्रदेश

विषय :– सिगरेट एवं तंबाखू से बने उत्पादों के संबंध में समुचित कार्यवाही करने बाबत् ।

सिगरेट एवं तंबाखू से बने उत्पादों से मानव शरीर को होने वाली क्षति, उसके विज्ञापन तथा व्यापार को प्रतिषिद्ध करने के संबंध में सिगरेट एवं तंबाखू उत्पाद (विज्ञापन एवं व्यापार नियमन, उत्पाद आपूर्ति एवं वितरण प्रतिषेध) अधिनियम 2003 बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम 2008 को केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 31 मई 2009 से प्रभावशील किया गया है। इस अधिनियम एवं नियमों के परिपेक्ष्य में यथा समय समुचित कार्यवाही की जाने हेतु आपको निम्न निर्देश दिये जाते है –

1. यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सालय, शिक्षा संस्थान एवं सामाजिक संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, पुस्तकालय, लोक सेवकों के कार्यालय, न्यायालय भवन, आडिटोरियम, स्टेडियम, रेल्वे स्टेशन , बस स्टाफ , धार्मिक स्थान, शापिंग मांल, सिनेमाहाल, एयरपोर्ट लाबी तथा ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थानों में एवं उसके आसपास सिगरेट एवं तंबाखू उत्पादों का विक्रय एवं सेवन न हो।
2. दिनांक 31 मई 2009 के बाद सिगरेट एवं तंबाखू उत्पादों के पेकेज पर नियमानुसार उससे हानि होने वाली चेतावनी ऐसे उत्पादों पर होना सुनिश्चित करें।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश,भोपाल

प्रतिलिपि :– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
2. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश,भोपाल

तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य और जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं स्वयं सेवी संस्थानों के प्रयास

येलो लाईन अभियान

प्रदेश में तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिये स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग का अनुठा प्रयास

प्रकाशक :

म. प्र. वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन

पोस्ट कस्तूरबाग्राम, खण्डवा रोड़, बिलावली तालाब के पास, इन्दौर–452 020

Phone : 0731-2877734, E-mail : mpvha1973@gmail.com, Web. : www.mpvha.org

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union)